www.dhyeyaias.com

जून 2020 | अंक 03

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020

पीरियड्स इन पैनडेमिक

2 उत्तर भारत में ग्रीष्म लहर : बढ़ती असामान्य प्रवृत्ति

3 महामारी के दौर में सहकारी संघवाद

4 आत्मनिर्भर पंचायत से आत्मनिर्भर भारत की ओर

5 सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक कर्त्तव्य पर प्रश्नचिह्न

6 विनायक दामोदर सावरकर : एक विस्मृत क्रांतिकारी

7 भारत–चीन विवाद : सकारात्मक सहमति की आवश्यकता

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

जून 2020 | अंक 03

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14

- मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 : पीरियड्स इन पैनडेमिक
- उत्तर भारत में ग्रीष्म लहर : बढ़ती असामान्य प्रवृत्ति
- महामारी के दौर में सहकारी संघवाद
- आत्मनिर्भर पंचायत से आत्मनिर्भर भारत की ओर
- सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक कर्त्तव्य पर प्रश्नचिह्न
- विनायक दामोदर सावरकर : एक विस्मृत क्रांतिकारी
- भारत–चीन विवाद : सकारात्मक सहमति की आवश्यकता

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–28

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 29

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 31

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020: पीरियड्स इन पैनडेमिक

चर्चा का कारण

- हाल ही में मासिक-धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई 2020 को मनाया गया। इस वर्ष, इसकी थीम 'पीरियड्स इन पैनडेमिक' है। मासिक-धर्म स्वच्छता दिवस एक ऐसा वैश्विक मंच प्रदान करता है जो लोगों को मासिक धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए गैर-लाभकारी संस्थाओं, सरकारों, निजी क्षेत्रों, मीडिया व व्यक्तियों को एक साथ लाता है।
- इस दिवस की वैश्विक स्तर पर शुरुआत जर्मनी के वॉश (WASH) यूनाइटेड नाम के एनजीओ ने 2013 में की थी। वॉश यूनाइटेड मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है और इसमें 410 से अधिक संगठन शामिल हैं।
- इस दिन को मनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़ी समाज की रूढ़िवादी विचारधारा को बदलना है।

मासिक धर्म चक्र

- मासिक धर्म को माहवारी, रजोधर्म, मेंस्ट्रूअल साइकिल या एमसी और पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय होने वाले स्त्राव को मासिक धर्म कहते हैं।
- जब कोई लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है तब उसके अंडाशय इस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रोन नामक हार्मोन उत्पन्न करने लगते हैं। इन हार्मोन की वजह से हर महीने में एक बार गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है। कुछ अन्य हार्मोन अंडाशय को एक अनिषेचित डिम्ब उत्पन्न एवं उत्सर्जित करने का संकेत देते हैं। सामान्यत: अगर लड़की माहवारी के आसपास यौन संबंध नहीं बनाती हैं तो गर्भाशय की वह परत जो मोटी होकर गर्भावस्था के लिए तैयार हो रही थी, टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाती है। इसे मासिक धर्म कहते हैं।
- मासिक धर्म सबको एक ही उम्र में नहीं होता। कुछ लड़कियों को यह 8 से 17 वर्ष तक ही उम्र में हो सकता हैं। विकसित देशों में कुछ लड़कियों को 12 या 13 साल की उम्र में पहला मासिक-धर्म होता है। वैसे सामान्य तौर पर 11 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है।
- यह चक्र सामान्य तौर पर 28 से 35 दिनों का होता है। महिला जब तक गर्भवती न हो जाए तब तक यह प्रक्रिया हर महीने होती है। मतलब 28 से 35 दिनों के बीच नियमित तौर पर मासिक धर्म या माहवारी होती है। कुछ लड़कियों या महिलाओं को माहवारी 3 से 5 दिनों तक रहती है, तो कुछ को 2 से 7 दिनों तक।

जागरूकता की कमी

- दरअसल आज भी महिलाएं मासिक धर्म को लेकर खुलकर बात नहीं करतीं और न ही इस दौरान स्वयं के हाईजीन के प्रति जागरूक होती हैं। मासिक धर्म के दौरान लड़कियों और महिलाओं को साफ-सफाई का खास ध्यान रखना होता है क्योंकि ऐसा न होने पर कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के अभाव के कारण महिलाओं को इंफेक्शन हो जाता है, इससे ओवरी कैंसर का खतरा भी हो सकता है साथ ही उन्हें तनाव, चिड़चिड़ापन, पेट दर्द, उल्टियों का भी सामना करना पड़ता है।
- यूनिसेफ की 2014 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तमिलनाडु में 79 प्रतिशत लड़कियां और महिलाएं मासिक-धर्म की स्वच्छता प्रक्रिया से अनजान थीं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 66%, राजस्थान में 56% और पश्चिम बंगाल में 51% महिलायें मासिक धर्म की स्वच्छता प्रक्रिया से अनजान थी।

समस्याएँ

- भारत के मासिक धर्म स्वच्छता परिदृश्य में जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है। कई महिलाओं में सैनिटरी उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी होती है और वे अपने पीरियड्स के दौरान दूषित या खराब कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। यह विभिन्न संक्रमण और यहां तक कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण बनता है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 20% महिलाएं ही सैनिटरी का उपयोग करती हैं जबकि लगभग 80% महिलाएं कपड़े या अन्य विकल्पों का सहारा लेती हैं।
- इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में और चूंकि यह कई जगहों पर गोपनीयता से संबंधित विषय है, तो इसकी अनुपलब्धता कभी भी बहस का विषय नहीं बनती है। साथ ही अधिकांश महिला स्वच्छता उत्पाद भी महंगे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग की महिलाएं उन्हें नियमित रूप से वहन करने में असमर्थ होती हैं।
- इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की 2011-12 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में केवल 38 प्रतिशत लड़कियों ने अपनी माताओं से मासिक धर्म के बारे में बात की और पाया कि कई माताएं खुद अनजान थीं कि मासिक धर्म क्या है? इसे एक किशोरी को कैसे समझाया जाना चाहिए और किन प्रक्रियाओं को मासिक धर्म में

स्वच्छता प्रबंधन माना जा सकता है, इसको लेकर स्पष्टता का अभाव है।

- शिक्षा मंत्रालय के 2015 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि गाँवों में 63% स्कूलों में शिक्षकों ने कभी भी मासिक धर्म और हाइजेनिक तरीके से इससे कैसे निपटा जाए,इसपर कभी चर्चा नहीं की।
- एक समस्या यह भी है कि व्यापक रूप से सैनिटरी पैड के प्रचार तो किया गया परन्तु इसके निपटान की अनदेखी भी की गयी, यह समस्या दो अंतर-संबंधित कारणों से संबंधित है। ये कारण हैं-
  - पहला, जब लड़कियों को निपटान (डिस्पोज) सुविधाओं तक पहुंच की कमी होती है, तो वे एक हाइजीनिक उत्पाद का उपयोग अनजाने में अनहाइजीनिक तरीके से करने लगती हैं। वे अकसर इसका उपयोग निर्धारित समय (कभी-कभी पूरे दिन के लिए एक ही पैड का उपयोग करके) से परे करती हैं। जब ऐसा होता है, तो यह लड़कियों के संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है।
  - दूसरा, सैनिटरी पैड के प्रबंधन से संबंधित है क्योंकि हमारे पास इस कचरे को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए व्यवहार्य और मापनीय समाधान नहीं है। विभिन्न रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पैड आमतौर पर खुले में और जल निकायों में फेंक दिए जाते हैं और कभी-कभी शौचालय या फिर जला दिए जाते हैं। जलाना कचरे से निपटने का एक तात्कालिक और सुविधाजनक तरीका हैं, परन्तु इससे प्रदूषण होता है।

सरकारी प्रयास

- 1990 में सैनिटरी नैपकिन के विज्ञापनों पर प्रतिबंध से लेकर, 2018 में कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन उद्यमी पर एक फिल्म पैडमैन तक, भारत ने वास्तव में एक लंबा सफर तय किया है।
- 2010 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण लड़कियों के लिए रियायती दरों पर सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना 'फ्री पैड योजना' शुरू की थी। यह योजना 20 राज्यों के 152 जिलों में शुरू की गई। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) द्वारा छह नैपकिन के प्रति पैकट किशोर लड़कियों को 6 रूपये की दर से बेचे गए थे। इसके अलावा सरकार द्वारा सस्ती सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए सुविधा और उज्जवला योजनाएं शुरू की गई हैं।
- 2011 में केंद्र सरकार ने देश के हर जिलों में 'सबला योजना' शुरू की जिसका उद्देश्य मासिक धर्म के समय लड़कियों और महिलाओं के स्वच्छता देखभाल के साथ स्वास्थ्य में सुधार करना था।
- 2012 में शुरू हुए 'निर्मल भारत अभियान' (जिसे 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के नाम से जाना जाता है।) के तहत, एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- 2014 में, केंद्र सरकार ने अनुमानित 243 मिलियन किशोरों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार लाने के उद्देश्य से, 'राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम' शुरू किया जिसके अंतर्गत मासिक धर्म स्वच्छता को भी कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था।
- इसके अलावा 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत, मासिक धर्म स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) के लिए आवंटित धन को गांवों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर खर्च किया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता और स्थानीय सैनिटरी नैपकिन विनिर्माण इकाइयों के विकास के बारे में पर्याप्त ज्ञान को प्रोत्साहित किया जाता है और ऐसे प्रयासों के प्रसार में मदद करने के लिए स्व-सहायता समूहों को भी शामिल किया गया है।
- इसके अलावा हाल ही में कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम के सहयोग से 'सखी वैन' के जरिए आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराया जा रहा है।

आगे की राह

- संक्षेप में, कहा जाए तो तीन ए - अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इस मुद्दे को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। भारत में महिलाओं के मासिक धर्म के लिए स्थितियां केवल तभी सुधर सकती हैं जब मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाई जाए।
- राजस्थान के 'चुप्पी तोड़ो, सयानी बनो' जैसे मासिक धर्म स्वच्छता अभियान को पूरे देश में दोहराया जाना चाहिए।
- "पैड मैन ऑफ इंडिया" अरुणाचलम मुरुगनंथम द्वारा सैनेटरी पैड बनाने के लोकप्रिय तरीके को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी स्कूलों, कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक भवनों में सस्ती सैनिटरी पैड उपलब्ध हों।
- सैनिटरी पैड की गैर-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति भी एक उभरती हुई चिंता है जिसके लिए मासिक-धर्म कप (मेनस्ट्रल कप) जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।
- हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत की लगभग 80% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का उपयोग नहीं करती हैं। 300 मिलियन से अधिक महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि वे इनका उपयोग करें, यह एक मुश्किल कार्य होगा इसलिए सभी हितधारकों के सहयोग और उनके बीच उचित समन्वय के साथ मासिक-धर्म स्वच्छता में सुधार किया जा सकता है। इसलिए सरकार इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. भारत में मासिक धर्म को लेकर अभी भी रूढ़िवादिता विद्यमान है। परिणामस्वरूप महिलाओं में कई तरह की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए किए गये प्रयासों की चर्चा करें।

02 उत्तर भारत में ग्रीष्म लहरः बढ़ती असामान्य प्रवृत्ति

चर्चा का कारण

- वर्तमान में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का तीव्र प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर पारा 45 के पार पहुंच गया है। देश के उत्तर, पश्चिमी, मध्य और पेनिनसुला के अधिकतर भागों में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे।

परिचय

- भारत के कुछ भागों में मार्च से जुलाई के मध्य असाधारण रूप से गर्म मौसम की अवधि देखी जाती है तथा ये गर्मी के दौर (अवधि) एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में खिसकते रहते हैं। गर्मी की लहर से प्रभावित क्षेत्रों में वायु के तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाते हैं। उत्तर भारत में यह गर्म हवाएँ लू कहलाती हैं। इससे उत्तर पश्चिमी भारत, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, आदि राज्य सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। कभी कभी इन हवाओं से हल्की वर्षा भी हो जाती है।
- गौरतलब है कि तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, जिससे इन क्षेत्रों में ग्रीष्म लहर की स्थिति पैदा हो गई। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में व्याप्त शुष्क उत्तर-पूर्वी हवाएँ इन क्षेत्र में तीव्र गर्मी का एक प्रमुख कारण बनीं।
- राजस्थान के चुरू में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में यह 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त मध्य भारत में खासकर विदर्भ में 47, अकोला में 47.4 और नागपुर में 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का अनुमान

- भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल गर्मी में देश के उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में ग्रीष्म लहर का प्रकोप पिछले साल की तुलना में अधिक रहेगा। विभाग के मुताबिक अप्रैल से जून के दौरान सामान्य तापमान में औसतन 0.5 से 1.0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोत्तरी का पूर्वानुमान लगाया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित आसपास के मैदानी इलाकों में जून के महीने में सामान्य से अधिक गर्मी हो सकती है।
- विभाग ने इस साल गर्मी के मौसम में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसका सीधा असर दिन के समय अत्यधिक गर्मी रहने के रूप देखने को मिल सकता है।
- इस साल गर्मी का असर मैदानी क्षेत्रों के अलावा पहाड़ी इलाकों में भी तुलनात्मक रूप से अधिक रहने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों के अलावा पश्चिमी राजस्थान में तीन महीने के दौरान औसत अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जा सकता है।

ग्रीष्म लहर क्या है

- विश्व मौसम संगठन के अनुसार, ग्रीष्म लहर (Heat wave) तब होती है जब लगातार 5 दिनों का अधिकतम तापमान औसत अधिकतम तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है।
- भारतीय मौसम विभाग ने ग्रीष्म लहर से प्रभावित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित मानदंड तय किये हैं-
  - ग्रीष्म लहर प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान मैदानी इलाके के लिये कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाके के लिये कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिये।
  - जब किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो, तो ग्रीष्म लहर का सामान्य से विचलन 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रचंड ग्रीष्म लहर का सामान्य से विचलन 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है।
  - वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बने रहने पर उस क्षेत्र को ग्रीष्म लहर प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिये, चाहे अधिकतम तापमान कितना भी रहे।

मई के तीसरे सप्ताह तक देश में असामान्य गर्मी क्यों थी

- भारत में ग्रीष्म ऋतु 15 मई तक अपने चरम पर पहुँच जाती है, इस तारीख तक दिन का तापमान उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में न केवल 40 डिग्री के पार हो जाता है बल्कि यह 45 डिग्री के आसपास पहुँचने लगता है।
- इस वर्ष, उत्तर भारत में 21 मई तक इस तरह के तापमान का अनुभव नहीं हुआ था। इस वर्ष 15 मई के बाद ग्रीष्म लहर का प्रकोप देखने को मिला। इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का निरंतर प्रवाह था, जिसने अप्रैल के अंत तक उत्तर भारत में मौसम को प्रभावित किया था।
- गौरतलब है कि पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊँची तहों में भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देता है। यह एक गैर-मानसूनी वर्षा का स्वरूप है जो पछुवा पवन (वेस्टर्लीज) द्वारा संचालित होता है।
- पश्चिमी विक्षोभ खासकर सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप के निचले मध्य इलाकों में भारी बारिश तथा पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि में इस वर्षा का बहुत महत्व है, विशेषकर रबी फसलों के लिए।

- विदित हो कि उत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में आने वाले मानसून से वेस्टर्न डिस्टर्बन्स या पश्चिमी विक्षोभ का बिलकुल कोई सम्बन्ध नहीं होता। मानसून की बारिशों में गिरने वाला जल दक्षिण से हिन्द महासागर से आता है और इसका प्रवाह वायुमंडल की निचली सतह में होता है।
- अम्फान चक्रवात के कारण भी इस वर्ष ग्रीष्म लहर असामान्य रही। अम्फान चक्रवात ने अपने मार्ग में आने वाले भारतीय क्षेत्रों से नमी सोख लिया, इस कारण भी ग्रीष्म लहर अधिक तीव्र रही।

ग्रीष्म लहर का प्रभाव

- किसी इलाके में अगर वर्षा कम हो रही हो और तापमान भी रिकॉर्ड तोड़ रहा हो तो उस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता पर भी विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में ग्रीष्म लहर के कारण मौतों का खतरा बढ़ जाता है और जंगलों में आग लगने की घटनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। जबकि सूखे के कारण जलधाराएँ सूखने लगती हैं और भूजल दोहन को बढ़ावा मिलता है।
- इस तरह की मौसमी परिस्थितियों से कृषि भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है। इस तरह देखें तो एक ही समय में होने वाले सूखे और ग्रीष्म लहर का असर पर्यावरण के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी पड़ता है।
- हिंद महासागर में ग्रीष्म लहरों के बढ़ने के साथ-साथ तापमान, समुद्री जलस्तर तथा अम्लता भी बढ़ी है, जबकि ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट हो रही है। इन बदलावों ने तटीय आर्द्र भूमियों को प्रभावित किया है, जिसके कारण वनस्पतियों के मृत होने की दर बढ़ रही और पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण हो रहा है। इससे महासागरों के तटीय पारिस्थितिक तंत्र में शामिल समुद्री घास, मैंग्रोव और दलदली भूमि प्रभावित हो सकती है, जिनकी भूमिका कार्बन को सोखने में अहम होती है। इसके साथ ही, समुद्र में मछलियों की मात्रा कम होने से मछुआरों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है।

निष्कर्ष

- भारत के विभिन्न हिस्सों में सूखे और ग्रीष्म लहर की घटनाएँ एक साथ मिलकर दोहरी चुनौती दे रही हैं। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक ताजा अध्ययन में पता चला है कि देश भर में एक ही समय में सूखे और ग्रीष्म लहर की घटनाएँ न केवल बढ़ रही हैं, बल्कि उनका दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए ग्रीष्म लहर के प्रतिकूल प्रभावों और उनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये, दीर्घावधिक उपायों के साथ-साथ अल्पावधिक क्रियान्वयन योजनाओं को भी लागू करना होगा।
- भारत ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का गठन किया है और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है। हालांकि, अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त भारत को महासागर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान-अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणिजगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

प्र. ग्रीष्म लहर का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएं कि क्या भारत के विभिन्न हिस्सों में सूखे और ग्रीष्म लहर की घटनाएँ एक साथ मिलकर दोहरी चुनौती दे रही हैं?

03 महामारी के दौर में सहकारी संघवाद

चर्चा का कारण

- कोरोना वायरस की लड़ाई में केंद्र और राज्यों के सहयोग की बहुत अधिक जरुरत है। भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के शुरुआती दिनों में पहले संक्रमण के शिकार हुए राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर इस महामारी को लेकर जानकारियों और संवाद का तरीका अपने अपने हिसाब से अपनाया था। जबकि केंद्र सरकार उस समय तक इस बात को लेकर स्पष्ट नीति नहीं बना सकी थी कि उसे इस महामारी से निपटने की कैसी राष्ट्रव्यापी नीति का निर्माण करना है। साफ है कि इस महामारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और बेहतर हो सकता था। इसलिए कई जानकारों का मानना है कि भारतीय संघवाद के महत्व पर चर्चा करना आवश्यक हो गया है।

परिचय

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 (1) के अनुसार, भारत राज्यों का संघ है। दूसरी ओर सरकार की प्रणाली संघात्मक है। भारतीय संघवाद का उद्भव कनाडा की प्रणाली से हुआ है, जबकि भारतीय संघ की स्थापना राज्यों की सहमति या करार द्वारा नहीं हुई है, साथ ही राज्यों की संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
- केंद्र सरकार के अधिक शक्तिशाली होने की वजह से भारतीय संघ के असली स्वरूप को विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है, जबकि संघात्मक राज्य की परिभाषा को लेकर कोई मतैक्य नहीं है।
- केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सरकार की मुख्य विशेषता है। राष्ट्रीय महत्व वाले विषय केंद्र की तथा स्थानीय महत्व वाले विषय राज्य सरकारों को प्रदान किए गए हैं। इसीलिए भारतीय संविधान में तीन सूचियां अंकित हैं, जो इस प्रकार हैं-(i) संघ-सूची, (ii) राज्य-सूची, तथा; (iii) समवर्ती-सूची।
- गौरतलब है कि जब संविधान सभा के सदस्यों ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्विटजरलैंड जैसे अन्य देशों के संविधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, तो उन्होंने भारतीय गणतंत्र की आवश्यकता के अनुरूप एक प्रणाली तैयार करने हेतु 'पिक एंड चूज' (Pick and Choose) की नीति अपनाई। परिणामस्वरूप, भारत की संविधान सभा 'सहकारी संघवाद' के रूप में संदर्भित हो गयी।

महामारी के दौर में सहकारी संघवाद पर संकट

- महामारी के दौरान कुछ घटनाक्रमों ने केंद्र-राज्य सहयोग में दरारें पैदा की हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का रेड (Red), ऑरेंज (Orange) और ग्रीन (Green) जोन में किये गए वर्गीकरण का विभिन्न राज्य सरकारों ने विरोध किया है। राज्यों ने केंद्र सरकार से इस प्रकार के वर्गीकरण में अधिक स्वायत्तता की मांग की है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को बाध्यकारी दिशानिर्देश बिना राज्यों के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं।
- ध्यातव्य है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के धारा 11 के तहत एक 'राष्ट्रीय योजना' बनाने की परिकल्पना की गयी है। साथ ही केन्द्र द्वारा राज्यों को धारा 6(2) के तहत बाध्यकारी निर्देश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है। हालांकि इसी अधिनियम के धारा 11(2) के तहत यह भी प्रावधान है कि 'राष्ट्रीय योजना' के निर्माण में राज्यों की सहमति भी ली जाय। सरकार ने राज्यों से परामर्श नहीं लिया, जो कि संघवाद को हतोत्साहित करता है। केन्द्र सरकार बिना किसी 'राष्ट्रीय योजना' के केवल राज्य सरकारों को बाध्यकारी निर्देश ही जारी कर रही है। दूसरी तरफ राज्य भी इन दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर रहे हैं जो कि संघवाद को हतोत्साहित करता है।
- केंद्र सरकार ने यह घोषित किया है कि PM CARES Fund को दान करने वाले निगम सीएसआर (CSR) छूट का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग किसी मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे दान कर रहे हैं उन्हे सीएसआर छूट में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार यह सीधे किसी भी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान को हतोत्साहित करता है और राज्यों को केंद्र पर निर्भर बनाता है।
- इसके अलावा, शराब बिक्री पर प्रतिबंध के कारण कई राज्यों की राजस्व आमद में भारी कमी आई है (हालांकि कुछ राज्यों ने शराब बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटा दिये हैं) साथ ही पेट्रोल / डीजल की नगण्य बिक्री के कारण भी राज्यों को राजस्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- कोरोना महामारी के कारण राज्यों में भूमि सौदे और समझौतों का पंजीकरण नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त राज्यों के जीएसटी संग्रह भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं क्योंकि अभी भी केंद्र द्वारा उन्हें बकाया नहीं दिया गया है। इन सबके कारण राज्यों के लिए वेतन, पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं के खर्चों को उठाना अपेक्षाकृत काफी मुश्किल हो गया है।

कोरोना महामारी के दौर में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के प्रयास

- महामारी अधिनियम, 1897 (Epidemic Act, 1897) केंद्र और राज्य सरकारों को महामारी रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। जबकि केंद्र महामारी संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए बंदरगाहों पर प्रवेश (entry) और निकास (exit) पर निवारक आपातकालीन उपाय कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त राज्यों को महामारी की जांच के लिए प्रशासनिक और नियामक उपायों को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

- संघवाद अब केंद्र-राज्य संबंधों की फॉल्ट-लाइन न रहते हुए टीम इंडिया नामक एक नयी भागीदारी की परिभाषा बन चुका है। देश की विविधताओं और असमानताओं के संजाल के कारण भिन्न-भिन्न महत्वाकांक्षाएं-आकांक्षाएं निर्मित होती हैं। उन्हें पहचानना, उन्हें हल करना और सब राज्यों को एक मंच पर लाना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी केंद्र सरकार ने इस महामारी के दौर में सभी राज्यों के साथ बराबर संवाद किया है जो सहकारी संघवाद की महत्ता को दर्शाता है।
- प्रधानमंत्री द्वारा 'सहकारी संघवाद' के सिद्धांत को साकार करते हुए सर्वदलीय बैठक की गई है, ताकि सभी राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों की राय जानी जा सके और इस वैश्विक आपदा का सामना एकजुट होकर किया जा सके। यह वैश्विक संकट केंद्र तथा राज्य सरकारों को एक दूसरे के करीब लाया है, ताकि सहयोग और समन्वय के माध्यम से अपेक्षित उद्देश्यों तथा 'सहकारी संघवाद' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- किसी भी आपदा अथवा महामारी (यथा कोरोना महामारी) के समय में पहली प्रतिक्रिया राज्य देते हैं, इस प्रकार पर्याप्त धन राशि की आपूर्ति करना संकट से प्रभावी ढंग से निपटने की पूर्व आवश्यकता बन जाता है। इस दिशा में सरकार ने कई राहत पैकेज का ऐलान किया है जिससे राज्यों को कोरोना से लड़ने मे सहूलियतें मिली हैं।

आगे की राह

- राज्यों के आकार के साथ ही उनमें संसाधनों की उपलब्धता में भिन्नता है। सहकारी संघवाद के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का माहौल बनाने की जरूरत है। वित्त आयोग ने भी अपनी 14वीं रिपोर्ट में सिफारिश की कि राज्यों का केंद्रीय कर राजस्व संग्रहण में अधिक हिस्सेदारी का अधिकार होना चाहिए, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अमल में लाये जाने की आवश्यकता है।
- अब जबकि कोविड-19 महामारी भारत में 'शुरुआती दौर' से आगे बढ़ चुकी है और हम अब संकट के महासागर के बीचों बीच-खड़े हैं, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि अब वो इस बारे में संघवाद को नए स्तर पर ले जाए, जिसके तहत इस संकट के तमाम पहलुओं और स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों जैसे पेचीदा मसलों पर राज्यों से स्पष्ट रूप से बात की जा सके।
- केंद्र और राज्यों के सरकारी अधिकारी, अर्ध-सरकारी संस्थाएं, आपदा प्रबंधन में लगी टीमें, मीडिया के प्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठन, आपस में मिलकर लगातार सलाह मशविरा करके, आंकड़े साझा करके और परिचर्चा करके, संकट से जुड़ी जानकारी जनता तक पहुंचाएं। ऐसे आपसी सहयोग वाली साझीदारियों से संघवाद, जमीनी स्तर तक पहुंचा पाने में मदद मिलती है। इससे संघवाद एक ही दिशा में चलता है और उसमें छोटे स्तर से लेकर व्यापक स्तर तक कोई विरोधाभास नहीं होता।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. कोरोना महामारी के दौर में सहकारी संघवाद की महत्ता पर प्रकाश डालिए।

04 आत्मनिर्भर पंचायत से आत्मनिर्भर भारत की ओर

संदर्भ

- भारत की 1.3 बिलियन आबादी में से लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हमारे पास शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें हैं। सुशासन इन स्थानीय संस्थानों के प्रभावी कामकाज पर निर्भर करता है। भारत के विकास की राह पंचायतों के विकास से ही होकर गुजरता है।

परिचय

- 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पंचायत ग्रामीण भारत में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके अतिरिक्त पंचायत भारत के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार समग्र प्रगति और जमीनी स्तर की भागीदारी के जरिये 'ग्राम उदय से भारत उदय' को वास्तविक बनाने के लिए काम कर रही है।
- इन स्थानीय संस्थानों के प्रभावी कामकाज पर ही सुशासन निर्भर करता है। इसलिए, भारत का विकास पंचायतों के कार्य पर निर्भर करता है।
- भारत सरकार के अनुसार पंचायतों को आवश्यक शक्तियों और प्रावधानों के साथ सशक्त बनाने का निरंतर और व्यवस्थित प्रयास किया गया है ताकि वे प्रभावी और पारदर्शी तरीके से काम करें।

आत्मनिर्भर पंचायत की दिशा में बढ़ते कदम

- 2014 में, 100 से कम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे। यह संख्या बढ़कर अब करीब सवा लाख हो गई। इतना ही नहीं, केन्द्र सरकार ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया, जो सरकार की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को लागू करने के लिए एक एकल इंटरफेस होगा, जो पंचायतों की डिजिटल जरूरतों को भी पूरा करेगा। केंद्र सरकार के इस एप्लिकेशन के जरिए ग्राम पंचायतों की योजनाओं से लेकर खर्चे और सरपंच, पंचों एवं पंचायत सचिव के बारे में हर जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी।
- ग्राम स्वराज एप्लिकेशन वर्क बेस्ड अकाउंटिंग पर केंद्रित है। इससे जीपीडीपी में प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधियां में किए गए हर खर्च का विवरण उपलब्ध होगा। पंचायत की गतिविधियां, कार्य का नाम, योजना का नाम और राशि, चुने गए वित्तीय वर्ष के लिए आमदनी और खर्च संबंधी सभी जानकारी मिल जाएगी।
- स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन से एक-एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इससे लोगों के बीच झगड़े खत्म हो जाएंगे, विकास कार्यों को गति मिलेगी और शहरों की तरह इन संपत्तियों पर बैंक से लोन लिया जा सकेगा। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में इस योजना को ट्रायल के तौर पर शुरू कर रहे हैं। फिर इसे देश के हर गांव में लागू किया जाएगा।
- 2019 में, जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, भारत सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें वित्तीय निर्णय लेने वाली शक्तियों से सशक्त किया, साथ ही यह निर्णय लिया गया कि 73 वें संविधान संशोधन के तहत स्थानांतरित सभी 29 विषयों के कार्यों को भी जम्मू-कश्मीर की पंचायतों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इससे पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ियों जैसे बुनियादी संस्थान जम्मू कश्मीर पंचायत के नियंत्रण में आ गए।
- इसके अलावा, पंचायतों की वित्तीय शक्तियों को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये और ब्लॉक परिषदों के लिए 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया।

कोविड -19 के दौर में विभिन्न पंचायतें

- पूरा देश इस वक्त COVID-19 के प्रकोप से जूझ रहा है, न केवल डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बल्कि आंगनवाड़ी और स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय सरकार के अधिकारी भी इस संकट की घड़ी में लगे हुए हैं। COVID-19 के खिलाफ इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों का मुद्दा रहा है। लेकिन एक बड़ी चुनौती इन श्रमिकों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने में है, जिन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने गांवों तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरी की है।
- मेरठ जैसी जगहों में, लगभग 20,000 प्रवासियों में से 600 ऐसे प्रवासियों की पहचान की गई है जो विदेश यात्रा से लौटे थे या विदेश से लौटने वालों के संपर्क में किसी न किसी तरह से आए थे। ऐसे लोगों के लिए पूरे उत्तर भारत में लगभग 700 क्वारंटाइन सेंटर (quarantine centres) बनाए गए जिसमें 6600 लोगों को निगरानी में रखा गया। इन स्थानों पर, भोजन और आवास जैसी सुविधाएं ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों द्वारा प्रदान की गई हैं, जो यह दर्शाता है कि इस कठिन समय में भी सक्रिय रूप से पंचायत उपाय करने में लगी हुई है इससे पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला जा सकता है।
- केरल में ग्राम पंचायतें हर दिन सामुदायिक रसोई के माध्यम से हजारों गरीब लोगों को खाना खिला रही हैं।
- कर्नाटक ने पंचायतों को विकेंद्रीकृत किया है, जिससे उन्हें काम करने के लिए पूर्ण लचीलापन मिलता है, साथ ही उन्हें प्रमुख विभागों के साथ जोड़कर सशक्त भी बनाया गया है। हैरानी की बात नहीं है कि कर्नाटक लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने वाले पहले राज्यों में से एक बन गया है।
- दूसरी ओर, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ अभी तक PRIs को संस्थागत रूप नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों ने स्वायत्त ग्राम सभाएँ चुनी हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत का प्रत्येक राज्य, जिला और गाँव एक जैसा नहीं है जिसकी वजह से शासन का ढांचा भी भिन्न होता है।

कैसे आत्मनिर्भर होंगी पंचायतें

- गांवों से जुड़े नीतिगत फैसले में पंचायतों की राय जानना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा

और कृषि में पंचायतों की भूमिका बेहद अहम है।

- पंचायतों को और अधिक अधिकार दिये जाएँ साथ ही नौकरशाही से भी मुक्त रखा जाना चाहिए। इससे पंचायतों को फैसले लेने में सहूलियत मिलेगी।
- ग्राम सभाओं के आय के स्रोत कैसे बढ़ें, इस दिशा में भी योजनाएं बनाये जाने की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने और इनके वित्तीय सशक्तिकरण हेतु पहल करना चाहिए।
- मजबूत पंचायतें, आत्मनिर्भर गांव का भी आधार हैं और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- निष्कर्षतः स्थानीय निकाय संस्थानों, विशेष रूप से पंचायतों को सशक्त करने से सार्वजनिक भागीदारी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूती मिलेगी। जैसा कि महात्मा गांधी ने अपने सम्बोधन में कहा था कि पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक है, इसलिए जनता की राय स्थानीय मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है।
- COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत को स्थानीय प्रशासन, नगर पालिकाओं और पंचायतों की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। आज हमारे पास लगभग 2,50,000 से अधिक पंचायतें हैं जिनमें 3.1 मिलियन निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ 1.3 मिलियन महिला प्रतिनिधि भी हैं। COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में शक्तिशाली स्थानीय निकाय और पंचायतें जन भागीदारी के माध्यम से महामारी के खिलाफ भारत की सफलता सुनिश्चित कर सकती हैं।

- जब हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं, तो हमें आत्मानिर्भर पंचायतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब एक पंचायत आत्मनिर्भर बन जाती है, तो यह न केवल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है, बल्कि शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती है, जो आगे चलकर एक स्थिर और प्रगतिशील ग्राम अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है।
- भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के इस पूरे प्रयास में, पंचायतों और स्थानीय निकायों को अधिक लोगों द्वारा संचालित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अतः जब प्रत्येक ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर बनेगा तब देश भी आत्मनिर्भर बनेगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. स्थानीय संस्थानों के प्रभावी कामकाज पर ही सुशासन निर्भर करता है। इसलिए, भारत का विकास पंचायतों के कार्य पर निर्भर करता है। चर्चा कीजिये।

05 सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक कर्त्तव्य पर प्रश्नचिह्न

संदर्भ

- वर्तमान में बाकी देशों की तरह भारत भी COVID-19 के कारण उत्पन्न हुए स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। इसमें प्रवासी मजदूरों को सबसे अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है, बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच नहीं है, कोरोना से सुरक्षा हेतु कोई गुणवत्तायुक्त परीक्षण सुविधाएं नहीं हैं, कोई सुरक्षात्मक उपकरण नहीं है, और घर तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। कोविड-19 के कारण मजदूरों के मूलभूत अधिकार भी संकट में आ गए हैं। प्रशासनिक कार्यवाही भी इस संकट की घड़ी में इनकी मदद करने में नाकाफी रही है। ऐसे विकट समय में न्यायपालिका द्वारा स्थूल रूप धारण कर सब कुछ कार्यपालिका के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण एवं संतुलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह न्यायपालिका का उत्तरदायित्व है कि वह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय इस देश के नागरिकों, विशेष रूप से गरीबी रेखा के निकट या नीचे रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए संवैधानिक रूप से निर्णायक भूमिका निभाता है।
- जब से कोरोना का प्रकोप भारत में आया, तब से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की भरमार हो गई है, जिसमें इस संकट से निपटने हेतु विभिन्न उपायों की माँग की जा रही है। COVID-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा चार घंटे से कम समय के पूर्वनोटिस के साथ की गई थी। इससे देश में अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा हो गया। वे लोग, जिनके पास न तो घर था और न ही सुरक्षित रहने के लिए जगह थी वे सभी प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गये क्योंकि लॉकडाउन के कारण शहरी क्षेत्रों में काम बंद हो गये थे। इसके बाद स्थिति और बदतर तब हो गयी जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के शुरुआती समय में सभी ट्रेन व बसों को भी रद्द कर दिया था, ऐसे में इन प्रवासियों के पास पैदल ही अपने घर की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

सुप्रीम कोर्ट की असफलता

- अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ केस, प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल के रिपोर्ट पर विचार किया। न्यायालय के समक्ष सॉलिसिटर जनरल का बयान था कि 31 मार्च तक, कोई भी प्रवासी व्यक्ति अपने घर, कस्बों या गांवों तक पहुंचने की कोशिश में सड़कों पर नहीं निकला था। शहरों में काम करने वाले मजदूरों का प्रवासन फर्जी खबरों (जैसे -लॉकडाउन 3 महीने से अधिक समय तक जारी रहेगी) द्वारा पैदा की गई अफवाह से उत्पन्न हुआ था। चूँकि उस समय तक देश में कोरोना केस भी न्यूनतम स्थिति में थे, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक COVID-19 का मुकाबला करने के लिए भारत संघ द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष भी व्यक्त किया।
- विडम्बना यह थी कि भले ही उस समय COVID-19 मामलों की संख्या केवल कुछ सौ थी, लेकिन देश के लाखों गरीब व बेरोजगार प्रवासी श्रमिक अपने घर को वापस नहीं जा पाए और तंग क्वाटर में रहने को विवश हुए गरीब प्रवासीयों में संक्रमण का खतरा अधिक हो गया इसके अलावा, सरकार के बयान को भी स्पष्ट रूप से तथ्यों के विपरीत दिखाया गया।
- आधुनिक भारत में सबसे सख्त लॉकडाउन में, केंद्र ने कई निर्देश जारी किए, परन्तु इन दिशा-निर्देश को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दिया गया। लेकिन प्रवासी मजदूरों का मुद्दा स्वाभाविक रूप से एक अंतर-राज्यीय मुद्दा है, और राज्यों को इससे आंतरिक रूप से और साथ ही अंतर-राज्य दोनों से निपटना पड़ा। इसके साथ मुद्दा यह भी है कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए सुरक्षित परिवहन की गारंटी कौन देगा? इस मंदी में, कौन उन्हें अनुदान या भत्ता या उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेगा? कौन भोजन तथा अन्य सभी जरूरतों की देखभाल करेगा? नौकरी के नुकसान की भरपाई कौन करेगा और उनकी नियमित जाँच कौन करेगा?
- सुप्रीम कोर्ट की विफलता, मई के प्रारंभ तक लाखों श्रमिकों के बड़े पैमाने पर प्रवासन के परिणाम में समाने आई। ये मजदूर पिछले छह सप्ताह के लिए लगभग अव्यवस्थित परिस्तिथियों से असंतुष्ट होने के कारण तंग आ गए थे।
- देश जब कोरोना संक्रमण 50,000 के आकड़े को भी पार कर गया था और बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक भी संक्रमित हुए थे, इस समय पर भी, सरकार ने प्रारम्भ में पैदल या ट्रकों द्वारा यात्रा करने वाले प्रवासी मजदूरों को रोकने की कोशिश की थी, परन्तु बाद में, सरकार ने स्वयं ही बस और ट्रेनों (श्रमिक स्पेशल) द्वारा उन्हें घर वापस भेजने के लिए सहमत हो गई।
- इसी बीच 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने प्रवासी मजदूरों सम्बन्धी उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सभी जिला मजिस्ट्रेटों से तत्काल दिशा-निर्देश की मांग की गयी थी कि वे सड़कों पर चल रहे प्रवासी कामगारों की पहचान करें, उन्हें उचित भोजन और आश्रय की सुविधा प्रदान करें, इसके साथ ही उन्हें नि:शुल्क घर भेजने की व्यवस्था की जाय। परन्तु इस जनहित याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश का बयान व्यथित कर देने वाला था जिसके अनुसार जब तक

प्रवासी श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तब तक उन्हें मजदूरी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह उसी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था जिसने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या की थी, जिसमे कहा गया था कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा-पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है।

अनुचित अभिरूचि

- नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का,विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के अधिकारों के उल्लंघन का मौजूदा सबूतों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है या उन याचिकाओं को स्थगित कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की स्थिति नीतिगत विषय है और हम इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि सरकार वर्तमान स्थिति की सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश है।

जनहित याचिका

- जनहित याचिका (पीआईएल) एक विशिष्ट साधन है जिसे गरीबों, दलितों और कमजोर वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की ओर से उचित दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकता है। पीआईएल, वास्तव में, अदालत और सभी पक्षों के बीच एक सहयोगी प्रयास है ,जहां हर कोई समस्या के समाधान की मांग करने के लिए एक साथ आ सकता है।

- इन विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की रक्षा की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को छोड़ दिया, विशेष रूप से उन लोगों के लिए, जो सबसे कमजोर थे। परन्तु ऐसे कई निर्णय हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय ने नीतिगत मामलों को अपने दायरे में ही माना है। यही नहीं इन मामलों में, न्यायालय ने नीतियां बनाई है और राज्यों को उन्हें लागू करने के लिए भी कहा है जैसे:
  - कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न पर दिशानिर्देश
  - भोजन का अधिकार
  - पर्यावरण संरक्षण की नीतियां।

उच्च न्यायालयों की भूमिका

- प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर, कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, भले ही सरकार द्वारा उन्हें इस आधार पर हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही हो, कि उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो उच्च न्यायालयों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।
- परन्तु इसके बावजूद चार उच्च न्यायालयों (कर्नाटक, मद्रास, आंध्र प्रदेश और गुजरात) ने प्रवासी मजदूरों के अधिकारों के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया है। यह आपातकाल के दौरान उत्पन्न स्थिति की पुनरावृति है, जब उच्च न्यायालयों ने अधिकारों के अतिक्रमण के विरूद्ध साहसपूर्वक कदम उठाया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंततः इसे खारिज कर दिया गया था।
- इसके अलावा मद्रास उच्च न्यायालय ने मीडिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामलों को यह कहकर खारिज कर दिया है, कि लोकतंत्र को इस तरह से नहीं दबाया जा सकता है।
- इसके विपरीत, सॉलिसिटर-जनरल के तर्कहीन दावे (जिसमें कहा गया था कि श्रमिकों का पलायन फर्जी समाचारों के कारण था), के लिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मीडिया हाउसों को और जिम्मेदारी से रिपोर्ट करने की सलाह दी जानी चाहिए।

आगे की राह

- न्यायालय के पास अनुच्छेद 142 के तहत भारत के संविधान द्वारा प्रदत शक्ति है, जिसके तहत पूर्ण न्याय हेतु न्यायालय कोई भी उपाय कर सकती है। परन्तु सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाचारी का प्रदर्शन कर, न्यायलय के आदर्श वाक्य "यतो धर्मस्ततो जया" के साथ न्याय नहीं करता है।
- ऐसे समय में, उच्च न्यायालय तर्कसंगतता, साहस और दयालुता का भाव लिए समाने तो आते हैं परन्तु अब यह एक ऐसा समय है, जब सर्वोच्च न्यायालय को सरकार की बातों से सहमत होने के बजाय, विपत्ति की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र और कानून का अस्तित्व, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के समय, संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने वाले न्यायालय पर निर्भर है।
- प्रवासी मजदूरों का संकट आज भी जारी है, रेलवे स्टेशनों और विभिन्न राज्य की सीमाओं पर लाखों लोग फंसे हुए हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त परिवहन, भोजन और आश्रय की तुरंत व्यवस्था प्रदान किए जाए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:
- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

Topic:
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. कोरोना महामारी जैसी विपदाओं के समय भारत के न्यायपालिका की उदासीनता पर टिप्पणी करें।

06 विनायक दामोदर सावरकरः एक विस्मृत क्रांतिकारी

चर्चा का कारण

- हाल ही में विनायक दामोदर सावरकर की 137वीं जयंती मनायी गयी।

विनायक दामोदर सावरकर का परिचय

- विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 20 मई, 1883 को महाराष्ट्र के भागुर ग्राम (नासिक जिला) में हुआ था। इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है।
- सावरकर की शिक्षा देश और विदेश (लंदन) दोनों जगह हुई थी।
- 1904 में सावरकर ने पूना में अभिनव भारत सभा की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी (Free India Society) की भी स्थापना की थी। इंडिया हाउस (India House) नामक राष्ट्रवादी संस्था से भी सावरकर जुड़े हुए थे।
- 1909 में मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में सर विलियम कर्जन वायली की हत्या की गयी। इस हत्या के तार सावरकर से जोड़े गये क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि हत्या में प्रयोग की गयी पिस्तौल सावरकर ने उपलब्ध करायी थी। अतः उपर्युक्त हत्या, नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या, इंडिया हाउस संस्था से जुड़े होने इत्यादि के आरोप में विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अन्डमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलूलर जेल भेज दिया गया।
- हालाँकि 1921 में ब्रिटिश सत्ता ने एक समझौते के तहत सावरकर को रिहा कर दिया। इस समझौते में था कि 1937 ई. तक राजनीतिक रूप से नजरबन्द रहेंगे और किसी भी प्रकार की राष्ट्रवादी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
- सावरकर का निधन स्वतंत्र भारत में 26 फरवरी, 1966 को मुम्बई में हुआ था।

सावरकर का योगदान

- विनायक दामोदर सावरकर अपने कई भाषण और लेखों में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का उदाहरण देते थे। क्योंकि सावरकर, अम्बेडकर के निचले तबके के लोगों के उत्थान और समाज में उनके अन्य योगदान से काफी प्रभावित थे। इसीलिए कई इतिहासकारों का कहना है कि (अम्बेडकर मेहर समुदाय) और सावरकर (ब्राह्मण) दोनों ही जातिवाद के चरम वर्ग (Extreme Section) से आते थे किन्तु विचारधारा के मामले में दोनों ही राष्ट्रवादी नेता काफी समानताएँ रखते थे।
- सावरकर चाहते थे कि तत्कालीन भारतीय समाज में सुधार आये। इसीलिए 1920 में उन्होंने अपने भाई नारायण राव को पत्र लिखा और उसमें कहा कि जितने संघर्ष की आवश्यकता औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध है उतने ही संघर्ष की आवश्यकता जातिगत भेदभाव व छूआछूत के विरुद्ध भी है।

- सावरकर अंग्रेजों के 'श्वेत व्यक्ति का बोझ सिद्धान्त' (White Man's Burdenship Theory) के विरुद्ध थे। उन्होंने इतिहास को प्रमाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया और भारतीयों में विश्वास जगाने का प्रयास किया अर्थात् उन्होंने भारतीय इतिहास को उजागर किया ताकि जनता अपने अतीत को जाने और उनकी चेतना में जागृति आये। उनका विश्वास था कि जब एकबार जन जागृति आ जायेगी तो अंग्रेजों द्वारा फैलाये जा रहे झूठ का जनता आसानी से सामना कर पायेगी और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगी।
- वीर सावरकर धार्मिक रीति-रिवाजों में वैज्ञानिकता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि धार्मिक प्रथाओं को वैज्ञानिक सोच व तार्किकता के साथ जरूर देखना चाहिए।
- सावरकर ऐसे पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने सर्वप्रथम बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक (1904-05 के आस-पास) में स्वराज की बात की। जबकि कांग्रेस ने काफी समय बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वराज की बात की।
- सावरकर एक संयुक्त भारत के पक्षधर थे। वह चाहते थे कि अलग-अलग संस्कृति के लोग मिल-जुलकर रहें और एक ऐसा भारत निर्मित हो जो समावेशी व गतिशील हो।
- सावरकर ने इस बात पर भी बल दिया था कि हमें यूरोपीय समाज से सीखना चाहिए तथा उनकी तरह प्रौद्योगिकी पर बल प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सावरकर अन्वेषण व नवीन विचारों को भी समर्थन देते थे। सावरकर की भारतीय सिनेमा के प्रति फ्यूचरिस्टिक एप्रोच (Futuristic Approach) काफी सराहनीय थी।
- सन् 1907 में लंदन में सावरकर ने 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनायी। सावरकर ने अपनी पुस्तक 'इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, 1857' के द्वारा यह स्थापित किया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश

सरकार 1857 की क्रांति को सेना द्वारा एक विद्रोह मानती थी।

- भारत में राष्ट्रवाद की क्रांति जगाने वालों में सावरकर प्रारम्भिक क्रांतिकारी थे। सावरकर की पुस्तक (इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल) क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणास्रोत थी।

सात बंदी

सावरकर ने अपनी एक पुस्तक में सात बंदियों की चर्चा की है जो निम्नलिखित हैं-

(i) **वेदोकटाबन्दी:** वेदोकटाबन्दी से तात्पर्य है कि वेदों की कुछ लोगों तक ही पहुँच को रोका जाये अर्थात् इनका सभी लोगों को अध्ययन करने का अधिकार हो।

(ii) **व्यवसायबंदी:** इसमें जन्म के आधार पर व्यवसाय निर्धारित होने की मनाही की गयी है।

(iii) **स्पर्शबंदी:** इसमें छुआछूत की मनाही या बंदी की बात की गयी है।

(iv) **समुद्रबंदी:** पहले भारतीय समाज में ऐसी मान्यता व्याप्त थी कि कोई यदि समुद्र पार गया तो उसका धर्म नष्ट हो जायेगा। लेकिन सावरकर ने ऐसे तर्क रखे कि समुद्र पार करने से धर्म पर कोई असर नहीं होगा।

(v) **शुद्धिबंदी:** इसके तहत हिन्दू धर्म में पुनः धर्म-परिवर्तन (Reconversion) के विरोध में कहा गया है। सावरकर का कहना था कि सभी धर्म समान हैं।

(vi) **रोटीबंदी:** इसमें कहा गया है कि सभी जातियों को छूआछूत त्यागकर एकसाथ भोजन करना चाहिए।

(vii) **बेटीबंदी:** इसमें अन्तर्जातीय विवाह का समर्थन किया गया है।

विवाद

- विनायक दामोदर सावरकर के साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं-
  - कुछ विद्वानों का माना है कि हिन्दू महासभा की स्थापना के साथ सावरकर ने हिन्दुत्व को एक एजेंडा के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त (Two-nation theory) का प्रतिपादन किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिन्दू और मुसलमान कभी भी एकसाथ नहीं रह सकते, अतः उनके लिए दो अलग-अलग राष्ट्र होने चाहिए।
  - लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि सावरकर हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। उन्होंने हिन्दू महासभा के 21वें वार्षिक सम्मेलन (1939 में कोलकाता) में बोला था कि कैसे हिन्दू और मुस्लिम अपने ऐतिहासिक मतभेदों को मिटाकर एक सामाजिक संस्कृति वाले हिन्दुस्तान में साथ रह सकते हैं (एक संविधान के तहत)। यह सही है कि उन्होंने द्वि-राष्ट्र का सिद्धान्त दिया था किन्तु इसमें उन्होंने कहा था कि एक ही देश (हिन्दुस्तान) में दो पृथक-पृथक राष्ट्र (हिन्दू व मुस्लिम) होने चाहिए।
  - कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1921 में सावरकर ने अंग्रेजों के समक्ष जब दया याचिका दी थी तो उन्हें रिहा किया गया था, इससे तत्कालीन क्रांतिकारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। जबकि दूसरी तरफ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि सावरकर ने दया याचिका इस वजह से दायर की थी ताकि भूमिगत होकर या गुपचुप तरीके से भारत की स्वतंत्रता हेतु क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाया जा सके।
  - नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या किये जाने के तार सावरकर से भी जुड़े थे। इसकी जाँच हेतु कयूर कमीशन का गठन किया गया, जिसने सावरकर को दोषयुक्त पाया।

निष्कर्ष

- इस प्रकार देखा जा सकता है कि सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, लेखक, प्रखर चिन्तक, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता थे जिन्होंने भारतीयों को हीन भावना से बाहर निकालने में अतुलनीय योगदान दिया।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास-महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे।

प्र. विनायक दामोदर के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए, उनके स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का परीक्षण कीजिए।

07 भारत–चीन विवादः सकारात्मक सहमति की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- हाल ही में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना के जमावड़े ने भारत-चीन के मध्य तनाव को और बढ़ा दिया है। चीनी सेना के जमावड़े के प्रत्युत्तर में भारत ने अपनी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सतर्क कर दिया।

पृष्ठभूमि

- भारत और चीन के बीच हाल ही में हुए गतिरोध का कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के समानांतर, गलवान घाटी में दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) सड़क का निर्माण माना जा रहा है। इसे सीमा सड़क संगठन (BRO) ने बनाया है। बीआरओ भारत सरकार की वह एजेंसी है जो अपने देश के साथ-साथ पड़ोसी मित्र देशों के सीमाई इलाकों में रोड नेटवर्क तैयार करती है।
- पिछले कुछ वर्षों में, चीनियों ने भी पैंगोंगत्सो और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के किनारे अपनी सड़कों का निर्माण किया है। इसके पहले 2017 में, चीन ने भूटान और भारत के साथ एकतरफा त्रिकोणीय परिवर्तन करना चाहा, जिसने डोकलाम विवाद को जन्म दिया।
- इसके अलावा दिसंबर 2022 तक भारत द्वारा भी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फैली सीमा के साथ सभी 61 महत्वपूर्ण सड़कों को पूरा किया जाएगा, जिसकी लंबाई 3,417 किलोमीटर तक होगी।
- वर्तमान समय में दोनों देशों ने डेमचोक, दौलत बेग ओल्डी और गलवान नदी के आसपास और साथ ही लद्दाख में पैंगोंगत्सो झील के पास सैन्य गतिविधियाँ बढ़ाई है। हालाँकि परिवहन और संचार में सुधार ने भी दोनों सेनाओं को इन सीमा क्षेत्रों में बेहतर तरीके से गश्त करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए, गश्ती दल के आमने-सामने आने की संभावना अधिक हो जाती है।

भारत का पक्ष

- भारत सरकार ने कहा कि चीनी सैनिकों की हालिया गतिविधियां, एलएसी के पास भारतीय गश्त में बाधा डाल रही हैं, लेकिन भारत भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में अमन और शांति बनाए रखने के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है।
- भारत, LAC के पास सड़क और हवाई संपर्क बनाकर इस सीमा तक संतुलन बहाल करने की भी मांग कर रहा है।
- इसके अलावा भारत ने दक्षिण चीन सागर में 'नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता और बिना लाइसेंस वाले वैध व्यापार' के प्रति अपना समर्थन दोहराया और कानूनी व कूटनीतिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए किसी भी मतभेद को हल करने के लिए कहा।
- भारत ने दक्षिण चीन सागर को वैश्विक कॉमन्स के रूप में माना है। जबकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और अन्य लोगों के दावे की अवहेलना करता है।

सीमा समझौते हेतु किये गये प्रयास

- 1980 के बाद से, दिल्ली और बीजिंग ने सीमा समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रोटोकॉल तैयार किए थे। जिसके अनुसार दोनों देश न तो बल का प्रयोग करेंगे और न ही बल प्रयोग की धमकी देंगे और दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ सौजन्य से व्यवहार करेंगे और किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई से बचेंगे।
- वर्ष 1993 में भारत और चीन ने अपनी सीमा पर तनाव को कम करने के लिए कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किये थे।
- अक्टूबर 2013 में दोनों पक्षों ने सीमा रक्षा सहयोग समझौते (Border Defence Cooperation Agreement) पर हस्ताक्षर किये, जो कि सीमांकित सीमा के साथ किसी भी विवाद को रोकने के लिये था। इसमें सैन्य और राजनयिक स्तर के संवाद तंत्र को शामिल किया गया।
- प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच 2018 में वुहान और 2019 में तमिलनाडु में हुए शिखर सम्मेलनों ने अधिक स्थायी समाधान की उम्मीदें जगाई थी।
- भारत ने लंबे समय से एलएसी की विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
- अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। हालांकि,

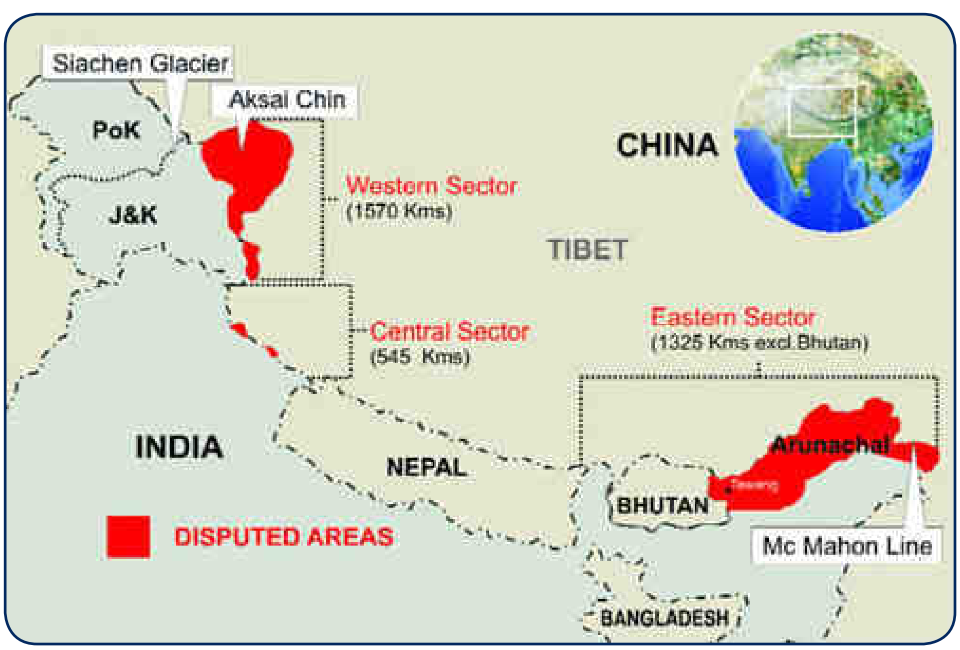

भारत ने कहा कि वह चीन के साथ तनावपूर्ण सीमा गतिरोध को हल करने के प्रयासों में लगा हुआ है।

लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल

- LAC एक 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है जो भारत और चीन को अलग करती है।
- भारत और चीन के बीच यह विवादित सीमा, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के रूप में भी जाना जाता है, को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख, कश्मीर), मध्य क्षेत्र (उत्तराखंड, हिमाचल) और पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम, अरुणाचल)।

भारत-चीन सीमा तनाव का इतिहास

- **तिब्बत पर विवाद (1950):** भारत ने दलाई लामा जो तिब्बत के आध्यात्मिक नेता है को तब शरण दी जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण दिया था। चीन उन्हें एक खतरनाक अलगाववादी नेता मानता है। तब से, भारत-चीन का टकराव दलाई लामा को लेकर बना हुआ है।
- **भारत-चीन युद्ध (1962):** दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के कारण 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ। इस टकराव में चीनी सेना ने लद्दाख के अक्साई चीन और डेमचोक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।
- **सीमा संघर्ष 1967:** नाथू ला और चो ला में दोनों पक्षों की सेनाएं भिड़ गईं। भारतीय और चीनी सेना के बीच चार दिनों तक गोलीबारी चलती रही।
- **अरुणाचल प्रदेश संघर्ष, 1986:** एक बार फिर दोनों राष्ट्रों के बीच 1986 में अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरोंग चू घाटी के पास संघर्ष हुआ।
- **डोकलाम विवाद, 2017:** यह तब प्रकाश में आया जब चीनी भारतीय क्षेत्र में सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सैनिकों ने, अपने भूटानी समकक्षों की सहायता से इस पर आपत्ति जताई, जिसके परिणामस्वरूप गतिरोध पैदा हो गया। डोकलाम रणनीतिक रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब स्थित है, जो भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के साथ मुख्य भूमि को जोड़ता है। इस गलियारे को चिकन नेक भी कहा जाता है, जो भारत के लिए एक संवेदनशील बिंदु है।

समस्याएँ

- हाल ही में, भारत ने नक्शे के आदान-प्रदान के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के स्पष्टीकरण पर चर्चा को फिर से शुरू करने के लिए चीन से बात करने की कोशिश की।
- इससे एलएसी की स्पष्ट रुपरेखा बनाने में मदद मिल सकती थी, लेकिन चीन ने इस प्रक्रिया को रोक दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि एलएसी एक सीमा बन जाएगी। इसके अलावा चीन ने सीमा पर तैनात बलों के लिए एक व्यापक आचार संहिता की मांग की है। हाल के सीमा वार्ता से यही प्रतीत होता है कि वांछित परिणामों को प्राप्त करने में बेमेल विचारधारा ही सबसे बड़ी बाधा है।
- इसके अलावा ब्रिगेड कमांडरों के बीच फ्लैग मीटिंग भी अब तक गतिरोध को तोड़ने में असमर्थ रही है। साथ ही 2005 और 2013 के प्रोटोकॉल में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत नियमों पर सहमति व्यक्त की गयी थी, लेकिन हमेशा इसका पालन नहीं किया गया।

निष्कर्ष

- भारत और चीन दोनों तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। दोनों के बीच टकराव के कई बिन्दु हैं, लेकिन दोनों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि यदि एशिया में शांति स्थापित करना है, तो दोनों साथ मिलकर चलना होगा। खासतौर पर अर्थव्यवस्था के स्तर पर तो साथ आना ही होगा जिससे कि दोनों को एक बेहतर बाजार मिल सके। सीमा विवाद के शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अतः दोनों देशों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा।

पंगौंगत्सो झील

- पैंगोंगत्सो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित एक लंबी संकरी, गहरी, लैंडलॉक झील है। इसका पश्चिमी छोर, लेह के दक्षिण-पूर्व में 54 किमी दूर स्थित है। 135 किमी लंबी यह झील बुमेरांग के आकार में 604 वर्ग किमी में फैली हुई है।
- खारे पानी की यह झील सर्दियों में जम जाती है, और आइस स्केटिंग और पोलो के लिए अनुकूल स्थल बन जाती है। कहा जाता है कि 19 वीं सदी के महान डोगरा सेनापति जोरावर सिंह ने तिब्बत पर आक्रमण करने से पहले अपने सैनिकों और घोड़ों को जमे हुए पैंगोंग झील पर प्रशिक्षित किया था।
- वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) ज्यादातर भूमि पर से गुजरती है, लेकिन पैंगोंगत्सो एक अनूठा मामला है, जहां यह पानी से भी गुजरता है। वर्तमान में झील का 45 किमी लंबा पश्चिमी हिस्सा भारतीय नियंत्रण में है, जबकि शेष चीन के नियंत्रण में है।
- 1962 के युद्ध के दौरान, यह वह जगह थी जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद से वैश्विक शांति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 हांगकांग पर नियंत्रण की तैयारी में चीन

1. चर्चा में क्यों

- चीन की संसद ने हाल ही में हांगकांग के लिए नया कानून पारित किया है जो पहली बार चीन को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR) के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार करने का अधिकार देगा।
- इस नए कानून के लागू हो जाने से हांगकांग अपनी स्वायत्ता खो सकता है। चीन के इस नए सुरक्षा कानून के तहत हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध करने जैसी गतिविधियां रोकने के प्रावधान हैं।

2. पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि हांगकांग पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने 1997 में इसे चीन को सौंप दिया था। उस वक्त चीन के साथ एक समझौता हुआ था। समझौते में चीन ने एक देश-दो प्रणाली अपनाने का वादा किया था। इसके तहत उसने कहा था कि वह अगले 50 साल तक हांगकांग में खुली अर्थव्यवस्था को बनाए रखेगा।
- इस समझौते के तहत हांगकांग को ऐसी आजादी मिली हुई है, जो चीन में भी नहीं प्राप्त है। इस आजादी के कारण हांगकांग को विशेष अंतर्राष्ट्रीय दर्जा हासिल है। उदाहरण के तौर पर अभी चीन से आयात पर जो शुल्क अमेरिका में लगते हैं, वे शुल्क हांगकांग से होने वाले आयात पर नहीं लगते।
- हालाँकि, अमेरिकी विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा कि हांगकांग अब अपनी स्वायत्तता के क्षरण के कारण अमेरिका से प्राप्त विशेष आर्थिक विशेषाधिकारों का लाभ नहीं ले सकता। अमेरिका के इस कदम से हांगकांग की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है।

3. क्या है प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून?

- प्रस्तावित कानून को हांगकांग में फैले असंतोष और प्रतिक्रिया स्वरूप होने वाले विद्रोह, पर अंकुश लगाने वाला सबसे व्यापक कदम बताया जा रहा है। इस कानून के द्वारा "देशद्रोह, अलगाववाद और तोड़फोड़" पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- यह कानून, हांगकांग विधानमंडल से परामर्श के बिना पारित किया जा सकता है। यह कानून उन देशद्रोही गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है, जो चीनी शासन को नुकसान पहुंचाएगा, साथ ही यह हांगकांग के मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को भी प्रतिबंधित करता है।
- इस कानून के अनुसार, चीनी सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में अपनी सस्थाएं संचालित कर सकती हैं। इसे बड़े पैमाने पर विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, के अनुछेद-23 के प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है, जिसे 2003 में विरोध के बाद निलंबित कर दिया गया था।
- लेकिन अनुच्छेद 23 के विपरीत, जिसे स्थानीय संसदीय कानून के अनुमति की आवश्यकता थी, नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रस्ताव में, हांगकांग की विधान परिषद (जो संसद के बराबर है) को दरकिनार कर, इसे मूल कानून के रूप में शहर के मिनी-संविधान में शामिल किया जाएगा। यह कानून प्रभावी रूप से हांगकांग को चीन के पूर्ण नियंत्रण में ला कर, इसकी स्वयत्तता पर भी रोक लगा सकता है।

4. निष्कर्ष

- चीन द्वारा उठाया गया यह कदम पूर्वी एशियाई व्यापारिक केंद्र के रूप में हांगकांग की स्थिति को भी कमजोर कर सकता है, साथ ही चीन के लिए भी वैश्विक अस्वीकृति को आमंत्रित कर सकता है।
- यदि विदेशी निवेशकों का विश्वास घटता है, तो हांगकांग में स्थित सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने मुख्यालयों (हेडक्वाटर्स) को, एशिया में कहीं और स्थानांतरित करने पर विचार कर सकते हैं, जिससे हांगकांग की दीर्घकालिक समृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
- इसके अलावा सामाजिक अस्थिरता, प्रवासियों और स्थानीय पेशेवरों को भी नौकरी के अवसरों की तलाश अन्य देशों में करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे ब्रेन ड्रेन हो सकता है।
- लोकतंत्र समर्थक दलों और कुछ कानूनी समुदायों द्वारा "एक देश, दो प्रणाली" मॉडल को कमजोर करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के फैसले की आलोचना की गई है।

02 ओपन स्काई संधि

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में सयुंक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह रूस के साथ ओपन स्काई संधि से हट रहा है।

2. कारण

- अमेरिका का कहना है कि वह मुक्त आकाश संधि से बाहर होना चाहता है क्योंकि रूस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं परंतु जब तक रूस इस संधि का सही से पालन नहीं करता तब तक हम इस संधि से बाहर रहेंगे।

3. ओपन स्काईज संधि क्या है?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने पहली बार जुलाई 1955 में प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में हवाई टोही उड़ानों की अनुमति दें। मास्को ने पहले उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने मई 1989 में फिर से यह प्रस्ताव किया और 1 जनवरी 2002 में यह संधि लागू हो गयी।
  - इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना है। इस संधि के अनुसार, किसी सदस्य देश पर निगरानी विमानों की उड़ान हेतु संबंधित देश को (निगरानी उड़ान के इच्छुक देश द्वारा) कम-से-कम 72 घंटे पूर्व इसकी सूचना दी जानी अनिवार्य है।
- अभी 34 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। किर्गिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन उसने अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है।
- इस संधि के तहत 1,500 से अधिक उड़ानों का संचालन किया गया है जिसका उद्देश्य सैन्य गतिविधि के बारे में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और हथियारों के नियंत्रण तथा अन्य समझौतों की निगरानी करना है।
- संधि में सभी देश अपने सभी क्षेत्रों को निगरानी उड़ानों के लिए उपलब्ध कराने पर सहमत हैं, फिर भी रूस ने कुछ क्षेत्रों में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रखा है।
- हालाँकि रूस की अपेक्षा अमेरिका ने ही इस संधि का ज्यादा लाभ उठाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2002-16 के बीच अमेरिका ने रूस की सीमा में 196 निगरानी उड़ानें भरी जबकि इसी दौरान रूस के द्वारा अमेरिकी सीमा में केवल 71 निगरानी उड़ानों का संचालन किया गया।
- संधि की शर्तों के मुताबिक, निगरानी विमान सेंसर से लैस होने चाहिए जो आर्टिलरी, लड़ाकू विमान और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों जैसे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की पहचान करने की क्षमता मुहैया करा सकते हों। हालांकि, सेटेलाइट्स के जरिये इससे कहीं ज्यादा और विस्तृत जानकारी आसानी से जुटाई जा सकती है। बावजूद इसके ये संधि की गई, क्योंकि इसके सभी 34 सदस्य देशों के पास सेटेलाइट्स से निगरानी करने की क्षमता उपलब्ध नहीं है।
- भारत की जापान के साथ भी ऐसी ही संधि है। भारत और जापान ने 2017 में 'ओपन स्काई' समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 के अनुसार इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

4. प्रभाव

- माना जा रहा है कि संधि से बाहर होने की स्थिति में रूस और अमेरिका के संबंधों में खटास आ सकती है। इसके अलावा संधि में शामिल यूरोपीय देश और अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य भी इस फैसले से नाराज हो सकते हैं।
- पिछले वर्ष INF संधि से अलग होने और ओपन स्काईज संधि (OST) से अलग होने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अमेरिका फरवरी 2021 में समाप्त हो रही 'नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि' का पुन: नवीनीकरण नहीं करना चाहेगा। गौरतलब है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसी वर्ष अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष चीन की बढती परमाणु शक्ति के संदर्भ में अपनी चिंता जाहिर की थी।

03 भारतीय श्रम कानून और आईएलओ

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation – ILO) ने भारत में श्रम कानूनों की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार से कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों को श्रम कानूनों को बनाए रखना चाहिए।
- गौरतलब है कि देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संघों ने पत्र के माध्यम से देश में श्रम कानूनों के निलंबन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के समक्ष उठाया था और साथ ही इस विषय पर ILO के हस्तक्षेप की मांग की थी।

2. प्रमुख बिन्दु

- गौरतलब है कि यूपी, एमपी व गुजरात ने लगभग तीन वर्ष (1000 दिन) के लिए उद्योगों को न केवल श्रम कानून से छूट दी है, बल्कि उनके रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन व सरल कर दिया है।

3. भारत में श्रम कानून

- श्रम विषय को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, जो विभिन्न श्रम संबंधी मामलों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने हेतु अधिकार प्रदान करती है। इसलिए राज्य को कानून बनाने से पहले केंद्र की मंजूरी लेनी पड़ती है।

4. आलोचना

- भारत में श्रमिकों के आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जैसे दसियों अधिनियम पिछले सौ साल में काफी लंबे विचार विमर्श के बाद बनाए गए। ये कानून भारतीय मजदूरों के आर्थिक हित सुरक्षित रखने के लिए नियोक्ताओं को प्रतिबद्ध रखते हैं। लिहाजा अब अगर इनमें बदलाव किया जाएगा या इन्हें हटाया जाएगा तो मजदूरों को मिली आर्थिक सुरक्षा खतरे में आ सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पूरे विश्व के लिए श्रमिक कल्याण के कई कन्वेंशन पास करता आया है। आजादी के बाद से भारत आईएलओ के कई कन्वेंशन अपने यहां कानूनी रूप से लागू भी कर चुका है। ऐसा ही एक जरूरी कन्वेंशन है ट्राईपारटाइट कंसल्टेशन का। यानी श्रमिकों के लिए किए जाने वाले फैसलों को लेते समय त्रिपक्षीय विमर्श किया जाए, जिसमें नियोक्ता, सरकार और मजदूरों की समतुल्य भागीदारी हो।
- इसे 1978 में भारत ने अपने उपर लागू किया। भारत आईएलओ के इन कन्वेंशनों का पालन करने के लिए वचनबद्ध है। लेकिन इस समय श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावों में त्रिपक्षीय भागीदारी नजर नहीं आ रही है। आज जब कई राज्यों ने श्रम कानूनों को खुद से स्थगित करने का फैसला किया है तो यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से भी मेल नहीं खाता है।

6. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी।

5. आगे की राह

- प्रबंधकों और नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के लिए किए जाने वाले फैसलों में श्रमिकों की भागीदारी भी सामाजिक न्याय का ही हिस्सा है। भारत में ईक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एंप्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) एक्ट 1946, फेक्टरीज एक्ट 1948 के स्वास्थ्य और कल्याण सम्बन्धी प्रावधान, कलेक्टिव बारगेनिंग जैसे कई अधिनियम हैं जो श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का काम करते चले आ रहे हैं।
- यहां तक कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 23, 42 जैसे दस से ज्यादा अनुच्छेदों में भी श्रमिकों के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं।
- किसी भी देश के विकास हेतु वहाँ की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रम, उत्पादन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अतः उत्पादन हेतु आवश्यक है कि श्रम से संबन्धित नियम व विधि इस प्रकार से हों कि एक तरफ जहां श्रमिकों का शोषण ना हो वहीं दूसरी ओर सौहार्दपूर्ण वातावरण में उत्पादन व औद्योगिक विकास संभव हो सके। वर्तमान श्रम नियमों व विधि को इस आदर्श स्थिति को ले जाना ही श्रम सुधार है।

04 आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसका विषय 'मीठी क्रांति और आत्मनिर्भर भारत' था।
- सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- मीठी क्रांति और आत्मनिर्भर भारत विषय पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने यह वेबिनार राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, पश्चिम बंगाल सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर के साथ मिलकर आयोजित किया था।
- इस आयोजन का उद्देश्य कृषि आय और कृषि उत्पादन बढ़ाने के साधन के रूप में भूमिहीन ग्रामीण गरीब, छोटे और सीमांत लोगों के लिए आजीविका के स्रोत के रूप में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को लोकप्रिय बनाना है।

3. भारत में शहद उत्पादन एवं सरकारी प्रयास

- भारत विश्व में शहद के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में शुमार है। भारत में वर्ष 2005-06 की तुलना में अब शहद उत्पादन 242 प्रतिशत बढ़ गया है, वहीं इसके निर्यात में 265 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन (एनबीएचएम) के लिए मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण के लिए चार माड्यूल बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से देश में 30 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
- राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन (एनबीएचएम) के लिए मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण के लिए चार माड्यूल बनाए हैं, जिनके माध्यम से देश में 30 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
- सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन कर रही है। इसीलिए, इसे बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है। इससे मधुमक्खी पालकों के साथ ही किसानों की भी दशा और दिशा सुधारने में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तहत गठित मधुमक्खी पालन विकास समिति (बीडीसी) का गठन प्रो. देबरॉय की अध्यक्षता में किया गया था। बीडीसी का गठन भारत में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के नए तौर तरीकों की पहचान करने के उद्देश्य से किया गया था ताकि इसके जरिए कृषि उत्पादकता, रोजगार सृजन और पोषण सुरक्षा बढ़ाने तथा जैव विविधता को संक्षित रखने में मदद मिल सके।

4. बीडीसी की सिफारिशें

- मधुमक्खियों को कृषि उत्पाद के रूप में देखना तथा भूमिहीन मधुमक्खी पालकों को किसान का दर्जा देना।
- मधुमक्खियों के पंसद वाले पौधे सही स्थानों पर लगाना तथा महिला स्व : सहायता समूहों को ऐसे बागानों का प्रबंधन सौंपना।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में उन्नत अनुसंधान के लिए एक विषय के रूप में मधुमक्खी पालन को मान्यता।
- मधुमक्खी पालकों के राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण और विकास।
- शहद सहित मधुमक्खियों से जुड़े अन्य उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अवसंरचनाओं का विकास।

5. मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में चुनौतियाँ

- मधुमक्खियों को कीटनाशकजीवों तथा रोगों से उपचार के लिए कोई समरूप नीति न होने के कारण मधुमक्खी पालक सस्ती तथा गैर-अनुशंसित व अनैतिक उपचार की विधियां अपनाते हैं। इससे उत्पादन में औषधियों की लागत बढ़ जाती है और मिलावट शहद का उत्पादन होता है।

6. आगे की राह

- सरकार द्वारा शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना और स्पष्ट मानकों को निर्दिष्ट करना होगा।

05 पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है। पृथ्वी का यह चुंबकीय क्षेत्र अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका (Africa and South America) के बीच में तेजी से कमजोर पड़ रहा है। इसे दक्षिण अटलांटिक विषमता (South Atlantic Anomaly) कहा जा रहा है।

2. प्रमुख बिन्दु

- वैज्ञानिक यूरोपीय स्पेस एजेंसी से हासिल किए गए स्वार्म सैटेलाइट समूह के आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं और दक्षिण अंटलाटिक विषमता के कारणों को जानने का प्रयास कर रहे हैं।
- यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक, यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के नीचे की बाह्य क्रोड़ (Outer Core) वाली परत में बह रहे गर्म तरल लोहे के कारण बनता है। यह परत हमारी पृथ्वी की सतह के 3 हजार किलोमीटर नीचे है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस परत में बहुत स्पष्ट बदलाव देखा। वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले 200 सालों में धरती की चुंबकीय शक्ति में 9% की कमी आई है।
- जर्मन शोधकर्ताओं का कहना है कि ऐसा प्रभाव पिछले दशक में दिखा था, लेकिन हाल के वर्षो में यह तेजी से विकसित हो रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक स्वार्म सैटेलाइट समूह के आंकड़ों से इस एनामोली का अध्ययन कर पा रहे हैं। लेकिन चुनौती यह है कि हम कैसे समझें कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारी धरती के अंदर ये बदलाव हो रहे हैं।
- इसके पीछे जिस कारण का अनुमान सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है वो ये है कि हो सकता है कि पृथ्वी के ध्रुव के व्यापक बदलाव का समय नजदीक आ रहा है।

3. प्रभाव

- चुंबकीय क्षेत्र का कमजोर होने से अंतरिक्ष से आने वाले आवेशित कण वहां स्थित हमारे उपग्रहों में घुस कर उनके काम पर असर डाल सकते हैं। उपकरणों को खराब कर सकते हैं। अभी वैज्ञानिक यह बता पाने की स्थिति में तो नहीं हैं कि यह असर कितना व्यापक होगा, लेकिन उनका मानना है कि यह निश्चित है कि सबसे पहले उपग्रहों पर ही असर हो सकता है।
- यदि चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हुआ तो सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। ऐसा अनुमान है कि चंद्रमा की परिक्रमा भी प्रभावित हो सकती है।
- उल्लेखनीय है कि चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड की दूसरी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। शायद इसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नासा और इसरो जैसे संस्थान जो सेटेलाइट छोड़ते हैं वह इसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।

06 चीन का मंगल मिशन (तियानवेन -1)

1. चर्चा में क्यों

- गौरतलब है कि चीन जुलाई, 2020 में अपना पहला मार्स मिशन तियानवेन-1 लॉन्च करने वाला है।
- मिशन की सफलता के पश्चात् चीन यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद लैंडिंग करने वाला तीसरा देश बन जायेगा।
- चीन का पिछला, यिंगहुओ-1 मंगल मिशन, जिसे एक रूसी अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, 2012 में प्रशांत महासागर में गिरने के बाद विफल हो गया था।

2. तियानवेन-1

- तियानवेन-1, 13 पेलोड (सात कक्षा और छह रोवर) ले जाएगा। यह मंगल की सतह पर पानी, बर्फ, मिट्टी की विशेषताओं की जाँच करने और अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के साथ वहाँ के वातावरण का भी अध्ययन करेगा।
- इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है।
- चीनी मिशन, मंगल ग्रह की सतह पर एक भू-मर्मज्ञ (जिओ-पेनिट्रेटिंग) रडार स्थापित करेगा, जो भूवैज्ञानिक शोध करने में सक्षम होगा।

3. पूर्व में हुए अन्य मंगल मिशन

- 1971 में USSR मंगल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था हालाँकि इसका 'मार्स 3' लैंडर, विफल हो गया विफल होने से पहले मंगल ग्रह की सतह से 20 सेकंड के लिए डेटा संचारित करने में सक्षम रहा। दुबारा सोवियत संघ ने 1973 में दुसरे मिशन के तहत मंगल पर लैंडिंग कराई।
- मंगल की सतह पर पहुंचने वाला दूसरा देश, अमेरिका है। 1976 के बाद से, इसने 8 सफल मार्स लैंडिंग की जिसमें नवीनतम 2019 में 'इनसाइट' मार्स मिशन है।
- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, भी मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को रखने में सक्षम हो गए हैं।

4. भारत का मंगल मिशन

- भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) या मंगलयान सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंच गया था, इसे नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
- भारत अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला चौथा राष्ट्र बन गया है और उसने पहले प्रयास में ही ऐसा किया।
- यह नासा के मावेन ऑर्बिटर की तुलना में सस्ता होने के कारण, सबसे अधिक लागत वाला प्रभावी मिशन था।
- MOM द्वारा भेजी गई हजारों तस्वीरों का उपयोग करते हुए, यह एक Martian Atlas बनाने की तैयारी है।
- मार्स ऑर्बिटर मिशन-2 (एमओएम 2) जिसे मंगलयान-2 भी कहा जाता है, भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है, जिसे मंगल ग्रह के प्रक्षेपण के लिए योजनाबद्ध किया गया है।

5. मंगल मिशन का महत्व

- चंद्रमा के बाद, सौर मंडल में सबसे अधिक अंतरिक्ष मिशन मंगल ग्रह पर हुए हैं। हालांकि मंगल पृथ्वी से कई मायनों में अलग है, लेकिन इसमें कई विशेषताएं पृथ्वी जैसी भी हैं जैसे कि बादलों, ध्रुवीय बर्फ की चादरें, घाटी, ज्वालामुखी और मौसमी पैटर्न।
- पिछले कुछ वर्षों में, मंगल मिशनों ने ग्रह पर तरल पानी की संभावित उपस्थिति की खोज करने में सफलता पाई है। पानी की संभावित उपस्थिति ने अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को इस बारे में अधिक उत्सुक बना दिया है कि क्या मंगल ग्रह जीवन को बनाए रख सकता है।

07 उमंग एप्लीकेशन

1. चर्चा में क्यों

- हाल ही में IMD की वेबसाइट पर होस्ट की गई 7 सेवाओं को UMANG एप्लीकेशन में रखने का फैसला लिया गया है।
- उमंग एप्लीकेशन भारत सरकार का ऑल-इन-वन, एकीकृत, सुरक्षित, मल्टीचैनल, मल्टीप्लेटफार्म, मल्टी मोबाइल ऐप है, जो कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने वेतनभोगी कर्मचारियों को एक निश्चित राशि तक पीएम योगदान वापस लेने की भी अनुमति दी है। इसके लिए उमंग एप की सहायता ले सकते हैं।

2. उमंग ऐप

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त सरकारी सेवाओं को सिंगल मोबाइल ऐप पर लाते हुए 2017 में इसे लॉन्च किया था।
- इस ऐप में आधार कार्ड, भारत गैस, भारत बिल पे, ईपीएफओ, एम-किसान, सीबीएसई जैसी 127 विभागों और 25 राज्यों की 660 सेवाएं तमाम जरूरी जानकारियां और सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- इस ऐप को केंद्र और राज्य के विभिन्न संगठनों के लिए बैकएंड के रूप में तैयार किया गया है। वर्तमान में IMD की वेबसाइट पर होस्ट की गई 7 सेवाएँ जो उमंग एप पर रखी गयी है निम्नलिखित है-
  - **वर्तमान मौसम की जानकारी:** 150 नगरों के लिए वर्तमान तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा को एक दिन में आठ बार अपडेट किया जाता है। सूर्योदय/सूर्यास्त तथा चांद के उगने/डूबने के बारे में भी सूचना दी जाती है।
  - **स्थानीय मौसम संबंधी घटनाओं की चेतावनी:** आईएमडी के राज्य मौसम विज्ञान विभाग केंद्रों द्वारा भारत के लगभग 800 स्टेशनों और जिलों के बारे में स्थानीयकृत मौसम अवधारणाओं तथा उनकी तीव्रता की तीन घंटे की चेतावनी जारी की जाती है। उग्र मौसम की स्थिति में चेतावनी में इसके प्रभाव को भी शामिल किया जाता है।
  - **शहर के मौसम का पूर्वानुमान:** भारत के लगभग 450 नगरों के मौसम की स्थितियों के पिछले 24 घंटों एवं 7 दिन के पूर्वानुमान दिए जाते हैं।
  - **वर्षा की जानकारी:** अखिल भारतीय जिला वर्षा सूचना, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एवं संचयी श्रृंखला उपलब्ध करायी जाती हैं।
  - **पर्यटन का पूर्वानुमान:** भारत के लगभग 100 पर्यटन नगरों की मौसम की स्थितियों के पिछले 24 घंटों एवं 7 दिन का पूर्वानुमान उपलब्ध कराया जाता है।
  - **चेतावनी:** नागरिकों को आने वाले खतरनाक मौसम की चेतावनी देने के लिए अलर्ट जारी किया जाता है। इसे लाल, नारंगी एवं पीले रंग के अलर्ट स्तर में कोड किया जाता है जिसमें लाल रंग सबसे उग्र श्रेणी है।
  - **चक्रवात:** तूफान की चेतावनी और अलर्ट तटों से गुजरने के संभावित समय और बिन्दु के साथ चक्रवाती तूफान का ट्रैक उपलब्ध कराता है। प्रभाव आधारित, क्षेत्र/जिला वार चेतावनियां जारी की जाती हैं जिससे कि संवेदनशील क्षेत्रों की निकासी सहित उपयुक्त तैयारी की जाती है।

3. उमंग एप्लीकेशन की उपयोगिता

- आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, ऐप केंद्र और राज्यों में विभिन्न सरकारी संगठनों की 1,200 से अधिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा।
- ऐप का उपयोग करके, नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे, एक नए स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।
- यह 13 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है और ऑन-डिमांड स्केलेबिलिटी को पूरा करता है। यह जल्द ही USSD के जरिए बिना इंटरनेट के फीचर फोन को भी सपोर्ट करेगा।
- इस ऐप को स्वास्थ्य सुरक्षा के हिसाब से भी बेहतर बनाया गया है इस ऐप के द्वारा आप पास के जन औषधि केंद्र का पता लगा सकते है और लागत मूल्य पर दवा खरीद सकते हैं।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 हांगकांग पर नियंत्रण की तैयारी में चीन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हांगकांग अपनी स्वतंत्रता से पहले फ्रांस का उपनिवेश था।
2. चीन द्वारा लाए गए सुरक्षा कानून के तहत हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं।

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः हांगकांग पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था (न कि फ्रांस का)। ब्रिटेन ने वर्ष 1997 में इसे चीन को सौंप दिया था। चीन द्वारा लाये गये नये सुरक्षा कानून में हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विरोध करने तथा विदेशी दखल पर पूर्णतः प्रतिबंध का प्रावधान है। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (a) होगा।

02 ओपन स्काई संधि

प्र. ओपन स्काई संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ओपन स्काई संधि को पहली बार वर्ष 2002 में लागू किया गया था।
2. इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना है।
3. ओपन स्काई संधि पर अभी तक 44 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः ओपन स्काई संधि पर अभी तक 34 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं। ओपन स्काई संधि को पहली बार वर्ष 2002 में लागू किया गया था। इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना है। इस तरह कथन 3 गलत है, अतः उत्तर (c) होगा।

03 भारतीय श्रम कानून और आईएलओ

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी।
2. श्रम विषय को भारत के संविधान की केन्द्रीय सूची में रखा गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। श्रम विषय को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इस तरह दोनों कथन गलत हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

04 आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन

प्र. मधुमक्खी पालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत विश्वभर में 10वाँ सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश है।
2. मधुमक्खी पालन विकास समिति (बीडीसी) का गठन प्रो. देवरॉय की अध्यक्षता में किया गया था।
3. भारत में शहद का उत्पादन वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 242 प्रतिशत बढ़ गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (b)

व्याख्याः भारत विश्वभर में शहद के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में शुमार है। भारत में वर्ष 2005-06 की तुलना में 2019-20 शहद उत्पादन में 242 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मधुमक्खी विकास समिति का गठन प्रो. देवरॉय की अध्यक्षता में किया गया था। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

05 पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वैज्ञानिक शोध के अनुसार पृथ्वी के ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अमेरिका के बीच चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ रहे हैं।
2. चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के नीचे बाह्य क्रोड़ (Outer Core) वाली परत में बह रहे गर्म तरल पदार्थ के कारण बनता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है। पृथ्वी का यह चुंबकीय क्षेत्र (Earth Magnetic Field) अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका (Africa and South America) के बीच तेजी से कमजोर पड़ रहा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की सतह के नीचे की बाह्य क्रोड़ (Outer Core) वाली परत में बह रहे गर्म तरल लोहे के कारण बनता है। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

06 चीन का मंगल मिशन (तियानवेन-1)

प्र. मार्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मार्स मिशन तियानवेन-1 चीन द्वारा जुलाई-2020 में लाँच किया जायेगा।
2. 1971 में मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला पहला देश अमेरिका था।
3. अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचने वाला चौथा राष्ट्र भारत है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः जुलाई 2020 में चीन अपना पहला मार्स मिशन तियानवेन-1 लाँच करेगा। 1971 में USSR मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) या मंगलयान सितम्बर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुँचा था, इसे नवम्बर 2013 में ISRO द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धन अंतरिक्ष केन्द्र से लाँन्च किया गया था। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचने वाला चौथा राष्ट्र भारत है। इस तरह कथन 2 गलत है, अतः उत्तर (c) होगा।

07 उमंग एप्लीकेशन

प्र. निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें-

(a) उमंग एप्लीकेशन भारत सरकार का ऑल-इन-वन, एकीकृत, सुरक्षित, मल्टीचैनल, मल्टीमोबाइल ऐप है।
(b) उमंग ऐप के द्वारा आधार कार्ड, भारत बिल पे, ईपीएफओ, एम-किसान, सीबीएसई जैसी सेवाएँ एवं जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है।
(c) यह ऐप केवल केन्द्र सरकार की सेवाओं तक ही पहुँच प्रदान करता है।
(d) यह ऐप 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

उत्तरः (c)

व्याख्याः उमंग ऐप भारत के केन्द्र और राज्यों सरकारों के विभिन्न संगठनों की 1,200 से अधिक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है। इस ऐप के द्वारा नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सेवाओं के उपयोग, स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन के साथ-साथ नौकरी की तलाश भी कर सकते हैं। इस तरह कथन (c) गलत है, इसलिए उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 पृथ्वी के पास से गुजरते उल्कापिंड

उल्कापिण्ड

- नासा के अनुसार तीन उल्कापिण्ड धरती की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि ये उल्कापिण्ड पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेंगे लेकिन पृथ्वी पर नहीं गिरेंगें। ये तीन उल्कापिण्ड निम्नलिखित हैं-

उल्कापिण्ड 2020 एन एन जी 4

- नासा ने उल्कापिण्ड 2002 एनएनपी को अत्यधिक खतरनाक उल्कापिण्ड के रूप में वर्गीकृत किया है। उल्कापिण्ड 16348 (2002 एन एन जी 4) बड़े उल्कापिण्डों में से पहला ऐसा पिण्ड है जिसने लगभग 7.48 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की। इसका व्यास 570 मीटर है, जिसकी स्पीड 5.2 किलोमीटर/सेकेण्ड है।

उल्कापिण्ड 2013 एक्स ए 22

- उल्कापिण्ड 2013 एक्स ए 22, उल्कापिण्ड 2002 एन एन 4 के बाद दूसरा घातक उल्कापिण्ड माना जा रहा है। यह पृथ्वी से लगभग 9.93 मिलियन किलोमीटर के नजदीक आ गया। यह एक छोटा उल्कापिण्ड है, जिसका व्यास 160 मीटर का है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है।

उल्कापिण्ड 2010 एन वाई 65

- नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्कापिण्ड 2010 एन वाई 65 24 जून को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा। जो पृथ्वी से 3.76 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। इसका व्यास लगभग 310 मीटर है। इसकी गति 46400 किलोमीटर प्रति घंटे की है। नासा के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह उल्कापिण्ड पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा। हालांकि इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा।

02 एशिया के टॉप 100 में भारत के 8 संस्थान

- हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन, द एशिया (THE Asia) रैंकिंग जारी की गई है और इसमें आठ भारतीय संस्थानों ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान पाया है। इस सूची में भारत, जापान और चीन के बाद तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। 56 संस्थानों ने रैंकिंग में भाग लिया था, जिसमें से 8 भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है।
- सूची में शीर्ष संस्थान IISC बैंगलोर है। सूची में आईआईटी रोपड़, आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की और रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, आईसीटी शामिल हैं. आईआईटी रोपड़ को 47वीं रैंक, आईआईटी इंदौर ने 55वीं रैंक और आईआईटी खड़गपुर को 59वीं रैंक पर रखा है।
- चीफ नॉलेज ऑफिसर, फिल बैटी ने कहा कि क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर, यह स्पष्ट है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में बताने को बहुत कुछ है। सिंघुआ

विश्वविद्यालय चीन (Tsinghua University China) और पेकिंग विश्वविद्यालय चीन (Peking University of China) इस साल शीर्ष दो स्थान पर हैं।

- इस वर्ष भारत के कुल 489 विश्वविद्यालयों ने क्वालीफाई किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 72 संस्थानों और 17 प्रतिशत की वृद्धि है। हालांकि, चीन 81 विश्वविद्यालयों और जापान 110 संस्थानों के साथ आगे रहे। इस सूची में शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में से एक सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शामिल था और शीर्ष 100 में हांगकांग विश्वविद्यालय भी शामिल था।
- टाइम्स एजुकेशन सर्वे में किसी भी संस्थान को रैंकिंग पाने के लिए 5 पैमाने को फॉलो करना पड़ेगा। इनमें टीचिंग, रिसर्च, साइटेशन, इंटरनेशनल, इंडस्ट्री इनकम है।

03 स्पेस एक्स की पहली अंतरिक्ष यात्रा

- हाल ही में एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी द्वारा बनाया गया एक रॉकेट यान नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष की कक्षा (आर्बिट) में सफलतापूर्वक पहुच गया। इसे व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में नये अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है।
- इस प्रक्षेपण के साथ ही स्पेसएक्स पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने मनुष्य को कक्षा में भेजा है। इससे पहले केवल तीन सरकारों अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। फिर से इस्तेमाल हो सकने वाले, गमड्रॉप (कैंडी) आकार के इस यान का नाम क्रू ड्रैगन है जो अब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के 19 घंटे के सफर पर ले गया।
- स्पेस एक्स और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के बीच समझौते के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने दो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी। जाने वाले दो अंतरिक्षयात्री हैं- रॉबर्ट बेहेनकेन और डगलस हर्ले। ये दोनों करीब 110 दिन अंतरिक्ष में रहकर वहां की जानकारियां जुटाएंगे।
- इस मिशन के साथ नासा का कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम नौ साल बाद फिर से शुरू हो गया है। इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका को अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रूस और यूरोपीय देशों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। यानी करोड़ों-अरबों रुपए खर्च कर रूस और यूरोपीय देशों के रॉकेट से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन नहीं भेजना पड़ेगा।

स्पेस-एक्स क्या है?

- स्पेस एक्स एक अमरीकी कंपनी है जो कि फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट्स पर कमर्शियल और सरकारी लॉन्च सेवाएं देती है। आंत्रप्रेन्योर एलन मस्क ने 2002 में इस कंपनी की नींव रखी थी। इसका मकसद अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना है। साथ ही इसका एक मकसद मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बनाना भी है। स्पेस एक्स दुनिया की अकेली ऐसी निजी कंपनी है जो कि नियमित तौर पर धरती पर रॉकेट के स्टेज वापस लौटाती है ताकि इनको फिर से लॉन्च किया जा सके।
- नासा 2000 के दशक की शुरुआत से ही आईएसएस पर मिशन पर काम कर रहा है। हालांकि, 2011 में उसने अपने रॉकेट से यह लॉन्चिंग करना बंद कर दी थी। इसके बाद अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट रूस के रॉकेटों से भेजे जाने लगे।रूसी रॉकेट से लॉन्चिंग का खर्च लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में अमेरिका ने स्पेस एक्स को बड़ी आर्थिक मदद देकर अंतरिक्ष मिशन के लिए मंजूरी दे दी। इस कंपनी ने 2012 में पहली बार अंतरिक्ष में अपना कैप्सूल भेजा।

04 न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में 23 अतिरिक्त गौण वन ऊपज शामिल

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में 23 अतिरिक्त गौण वन ऊपज (एमएफपी) मदों को शामिल करने और 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के जरिये गौण वन ऊपज (एमएफपी) मदों के विकास तथा एमएफपी की मूल्य शृंखला के लिए तंत्र' नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अनुबंध की घोषणा की। कवरेज को 50 से बढ़कर 73 करने का यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण देश में व्याप्त असाधारण और बेहद कठिन परिस्थितियों बेहद जरुरी सहायता उपलब्ध कराने की क्षमता को देखते हुए लिया गया है।
- 26 मई, 2020 को अतिरिक्त मदों की यह अनुशंसा 1 मई, 2020 को जारी पहले की अधिसूचना के अतिरिक्त है, जिसमें विद्यमान 50 एमएफपी के लिए एमएसपी संशोधनों की घोषणा की गई थी। गौण वन ऊपज के विभिन्न मदों में यह वृद्धि 16 से 66 प्रतिशत तक की गई (कुछ मामलें जैसे कि गिलोय में यह वृद्धि 190 प्रतिशत तक की गई) थी। इस वृद्धि से सभी राज्यों में गौण वन ऊपज की खरीद में भी तत्काल और आवश्यक गति मिलने की उम्मीद है।
- इसके अतिरिक्त, भारत भर में वन्य क्षेत्रों में उपलब्ध निम्नलिखित 9 मदों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ इस अधिसूचना में शामिल किया गया है: वन तुलसी बीज, वन जीरा, इमली बीज, बांस झाड़ू,सूखा आंवला, कचरी बहेडा, कचरी हर्रा, लाख के बीज आदि।
- साथ ही, 50 वस्तुओं के लिए मौजूदा वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम कर दिया गया है।

लघु वनोपज

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन उपज को परिभाषित करता है। हालाँकि, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को 2007 में ही परिभाषित किया गया था। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ब्रशवुड, बांस, कैन, कोकून, टसर, कंद आदि शामिल हैं।
- वन अधिकार अधिनियम को 2007 में लागू किया गया था। यह अधिनियम आजीविका, खेती, प्रबंधन और पुनर्जीवित करने का अधिकार देता है।
- वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लगभग 100 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। यह डाटा राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम समिति द्वारा एकत्र किया गया था। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि लघु वनोपजों का नियमन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आदिवासी इसका अधिकतम लाभ उठाएं।

05 केरल सरकार द्वारा जारी डेटा सुरक्षा दिशानिर्देश

- हाल ही में केरल सरकार ने COVID-19 डेटा संग्रह व संसाधन पर दिशानिर्देश जारी किये हैं। यह दिशानिर्देश स्प्रिंकलर विवाद के मद्देनजर जारी किये गए हैं। केरल सरकार ने डेटा एकत्र करने में अमेरिका स्थित डेटा विश्लेषक फर्म 'स्प्रिंकलर' को शामिल किया था। इसको लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया।
- सरकार का कहना था कि उसने स्प्रिंकलर को एक आपातकालीन उपाय के रूप में अनुबंधित किया था। इसका उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को समझना था जिससे केरल में महामारी का व्यवहार का पाता चल सके।

मुख्य दिशानिर्देश:

1. **स्वीकृति:** संवेदनशील निजी डेटा के मामले में डेटा प्रिंसिपल से स्पष्ट सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।
2. **गुमनामी:** अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि COVID-19 रोकथाम गतिविधियों पर केरल में एकत्र किए गए सभी डेटा को नामरहित कर दिया जाए ताकि डेटा प्रिंसिपल की अद्वितीय पहचान संभव न हो।
3. **तीसरे पक्ष तक पहुंच:** डेटा प्रदान करने वाले प्रत्येक नागरिक को सूचित किया जाएगा कि यह तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं द्वारा एक्सेस किए जाने की संभावना है।
4. **प्रारूप:** अपेक्षित प्रारूप में विशिष्ट सहमति प्राप्त की जाए। मलयालम और अंग्रेजी रूपों में अनुपालन को दर्शाती गोपनीयता नीति को शामिल किया जाएगा।
   - गोपनीयता नीति स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को निर्दिष्ट करेगी, जिसके लिए डेटा एकत्र किया गया है और डेटा का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए उसे एकत्र किया गया है।
5. **डेटा भंडारण:** एकत्र किए गए डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत किया जाएगा। यदि डेटा क्लाउड में संग्रहीत किया जाता है, तो क्लाउड सेवा प्रदाता को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और सरकारी विभागों द्वारा क्लाउड की खरीद के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
6. **डेटा प्रिंसिपल की पूर्व सहमति:** यदि किसी डेटा प्रिंसिपल से जीपीएस और ब्लूटूथ जैसे स्वचालित उपकरण का उपयोग करके डेटा एकत्र किया जाता है, तो यह डेटा प्रिंसिपल की पूर्व स्पष्ट सहमति पर किया जाएगा।
7. **सिक्योरिटी ऑडिट:** एसडीसी में होस्ट किए जाने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर

या एप्लिकेशन को होस्ट करने से पहले सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा।

- उल्लेखनीय है कि बेंच COVID-19 के रोगियों के डाटा के विश्लेषण और प्रसंस्करण के लिए केरल सरकार और अमेरिका स्थित टेक कंपनी स्प्रिंकलर इंक के बीच आईटी अनुबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दरमियान बेंच ने टिप्पणी की कि केरल सरकार इस अनुबंध के कई बिंदुओं पर कानून मंत्रालय से सम्पर्क नहीं किया और ना ही कोई सलाह मशवरा किया। जबकि इसमें कई बिन्दुओं पर कानूनी पेंच है।

06 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक

- हाल ही में येल विश्वविद्यालय ने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया। भारत ने 180 देशों में से 168वीं रैंक हासिल की। वर्ष 2018 में, भारत ने 100 में से 27.6 स्कोर किया और 177 वीं रैंक हासिल की थी।
- रैंकिंग बनाने के लिए लगभग 32 संकेतकों पर विचार किया गया है। साथ ही, सूचकांक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय प्रदर्शन पर 10 साल का अवलोकन दिया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अपने स्थिरता प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है। साथ ही, भारत को वायु और जल की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के लिए अत्यंत प्राथमिकता के साथ स्थिरता के मुद्दों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से आगे हैं। साथ ही, सतत विकास लक्ष्यों के मामले में भारत की रैंक भी कम है।

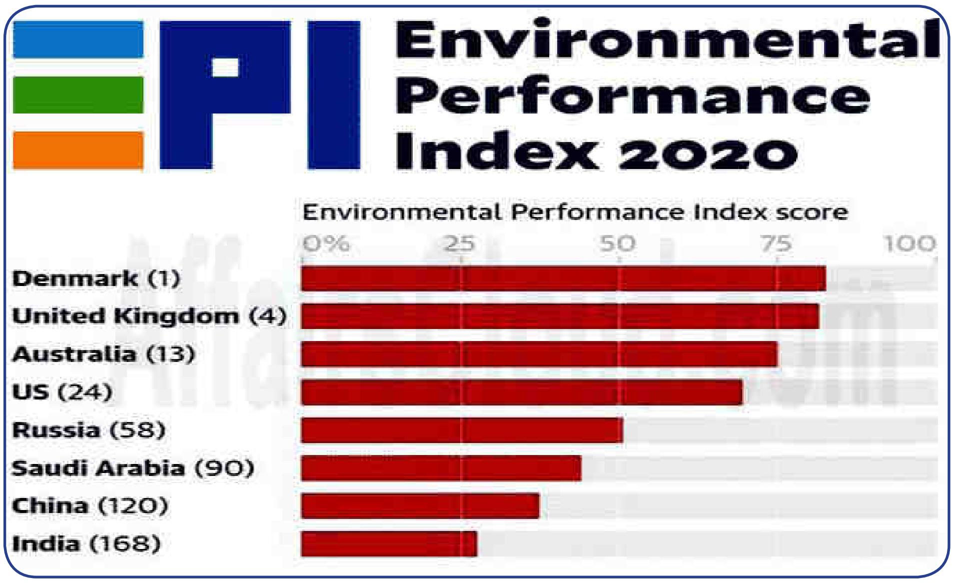

जलवायु परिवर्तन

- भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में 106वें स्थान पर और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन में एक देश के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस तीव्रता विकास दर, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि दर, उत्सर्जन वृद्धि दर, 4 ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि दर पर मूल्यांकन किया गया है।
- भारत का पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रमुख मापदंडों; जिसमें वायु गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पेयजल, भारी धातु, अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं, में प्रदर्शन अन्य देशों की तुलना में खराब रहा है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से संबंधित मापदंडों पर भी भारत का स्कोर दक्षिण एशिया के औसत स्कोर से कम रहा है।
- दक्षिण एशियाई देशों में 'जलवायु परिवर्तन' संकेतकों में भारत का स्थान पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान (106 वाँ स्थान) पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, विगत 10 वर्षों में ब्लैक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।

07 कोहाला जलविद्युत परियोजना

- हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में भारत की आपत्तियों के बावजूद अरबों डॉलर के सीपीईसी के तहत निर्माण कार्य तेज कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन सीपीईसी के तहत पीओके में 1124 मेगावाट की कोहाला जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है।
- रिपोर्ट में बताया गया कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) के तहत 1124 मेगावाट की कोहाला जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है, जिस पर चीन की थ्री गॉर्जेज कॉरपोरेशन, पीओके के अधिकारी और पीपीआईबी ने हस्ताक्षर किए हैं। झेलम नदी पर बनने वाली इस परियोजना पर करीब 2.4 अरब डॉलर का खर्च आएगा। परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान में उपभोक्ताओं के लिये पाँच बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना है।

- उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर और लद्दाख के गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरने वाले 3000 किलोमीटर लंबे सीपीईसी का निर्माण चीन और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं। इसके तहत चीन के शिनजियांग राज्य को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के जरिये जोड़ा जाना है। भारत लगातार इसे अपनी संप्रभुता का हनन बताते हुए इस पर आपत्ति जता रहा है।
- विदित हो कि विवादित क्षेत्र में यह एक महीने के अंदर दूसरी बड़ी परियोजना है, जिसका निर्माण पाकिस्तान और चीन मिलकर करेंगे। पिछले महीने गिलगित-बाल्टिस्तान में 442 अरब डॉलर की लागत से एक बांध बनाने की परियोजना पर चीन की सरकारी कंपनी और पाकिस्तानी सेना की कॉमर्शियल शाखा ने हस्ताक्षर किए थे। भारत ने अपनी जमीन पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की बात दोहराते हुए इस परियोजना पर आपत्ति जताई थी।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले प्रशासनिक सुधार, 2022 तक किसानों की आय को दो गुना करने में कितना सहायक हो सकता है? इन सुधारों की कमियों को रेखांकित करते हुए उचित उपाय सुझाइए।

02 हुनर हाट न सिर्फ रोजगार प्रदान करता है बल्कि यह परंपरागत हस्तशिल्प को संरक्षित करने में भी सहायक साबित हो रहा है। विवेचना कीजिए।

03 ग्रामीण क्षेत्र में कोविड 19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मनरेगा किस प्रकार सहायक हो सकता है? विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिये।

04 "भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना न सिर्फ आर्थिक रूप से लाभकारी होगा बल्कि इससे भारत बहुध्रुवीय विश्व में एक महत्त्वपूर्ण ध्रुव के रूप में भी उभरेगा।" आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

05 आर्द्र भूमि क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण के संदर्भ में 'बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग' की रामसर संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। भारत से रामसर स्थलों के दो उदाहरणों को दीजिए।

06 न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस. पी.) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों को निम्न आय के फंदे से किस प्रकार बचा सकता है?

07 "वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुच संधारणीय विकास लक्ष्यों (एस. डी. जी.) को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।" भारत में इस सबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख 'वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट' जारी की?

विश्व बैंक

02 किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है?

वियतनाम

03 ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआँ, जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस राज्य में स्थित है?

असम

04 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने स्कूली बच्चों के लिए ई-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

रोटरी इंडिया

05 #iCommit' भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है?

उर्जा मंत्रालय

06 किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है?

राजस्थान

07 सरकार ने एसएमएस सेवा के माध्यम से जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति किस सीमा तक दी है?

शून्य रिटर्न

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04

06

01 अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा।

डा. अब्दुल कलाम

02 "सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते।"

बिल गेट्स

03 किसी दिन, जब आपके सामने कोई समस्या ना आये–आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं।

स्वामी विवेकानन्द

04 यदि हम किसी भी देश के इतिहास के अतीत में जाएं, तो हम अंत में मिथकों और परम्पराओं के काल में पहुंच जाते हैं जो आखिरकार अभेद्य अन्धकार में खो जाता है।

बाल गंगाधर तिलक

05 हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए; विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं।

चाणक्य

06 जिस प्रकार मोरों में शिखा एवं नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है।

श्रीनिवास रामानुजम्

07 कोई भी व्यक्ति जो बहुत अधिक पढ़ता है और अपने खुद के दिमाग का बहुत कम उपयोग करता है, वह सोचने की आलसी आदत में फंस जाता है।

अल्बर्ट आइंस्टीन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the Institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

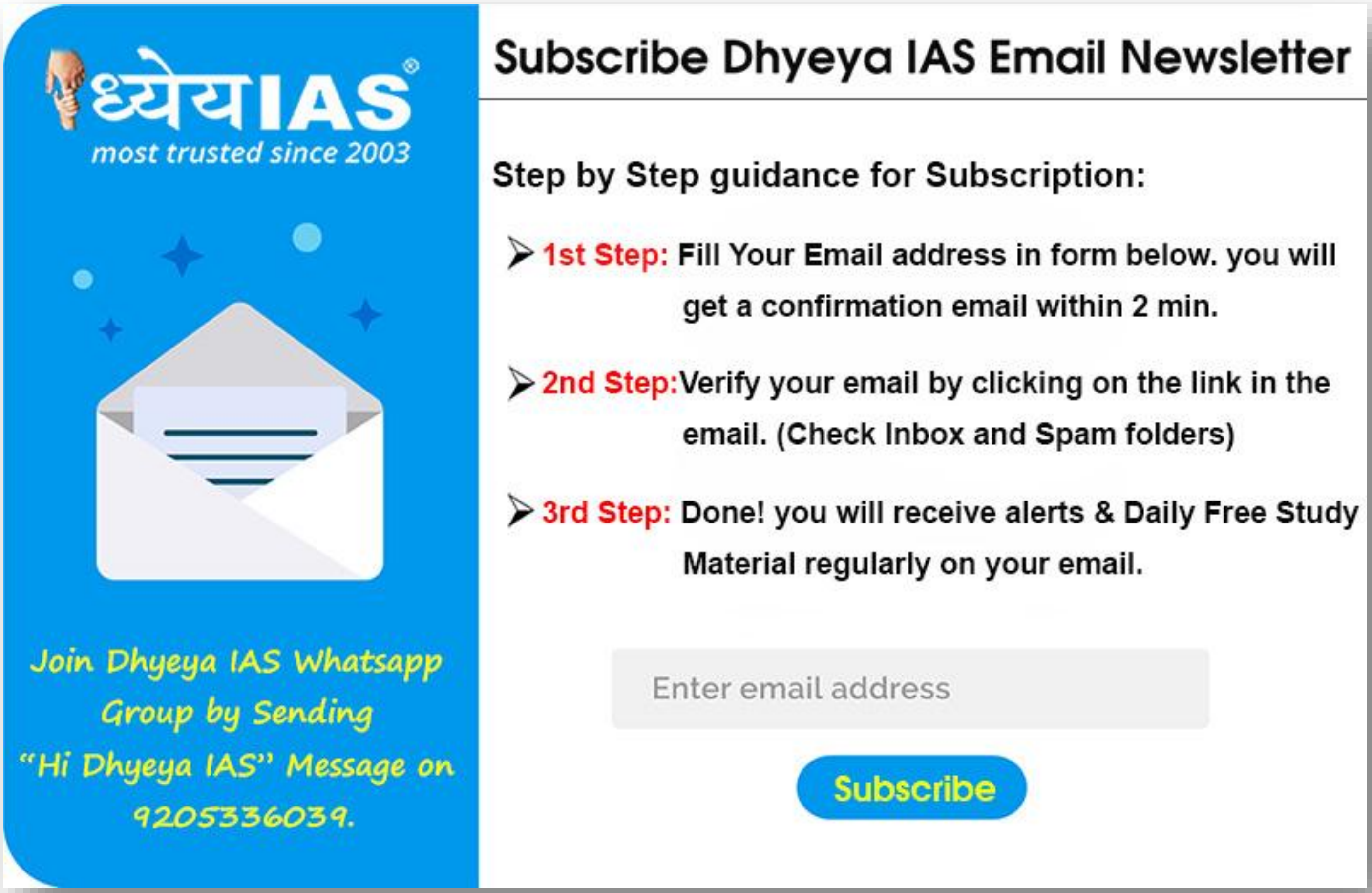

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400